THE INTERCEPTION OF MESSAGES AND POSTAL ARTICLES (REMOVAL OF POWER) BILL, 1988-^ contd.

श्री कल्पनाथ राय (उत्तर प्रदेश): आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, गोपाल स्वामी जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है मैंने उसके विरोध में बातें की थी। आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इस स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन्स में लिखा गया है :

"Section 5 of the Indian Telegraph Act, 1885 and Section 26 of the Indian Post Office Act, 1898 give power to the authorities to intercept messages and postal articles. A report has disclosed widespread interception of letters and telegrams to and from persons listed by a State Government to be kept under surveillance. There were instances of this earlier also. This is being sought to be justified under the above mentioned enactments which were framed by an imperial government which had reasons to suspect danger from innocent public activity. The practice and power from which it emanates is, in the present democratic set-up, most reprehensible and archaic. These provisions are relics of a bygone age of arbitrary irresponsive administration having little regard for inviolability of human liberties. After India attained Independence, these provisions which confer power to invade a citizen's right to privacy should have been withdrawn at one stroke. Such a practice can become a convenient tool in the hands of unscrupulous authorities to be used more for partisan purposes then for "public safety". The most obnoxious aspect of the whole sordid story is that the powers of mail interception have been in use in Karnataka and Tamil Nadu. It is therefore necessary that exercise of such power should be done away with."

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यह कानून 1885 में बना था और 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद के 40 वर्षों तक यह कानून बना रहा। आखिर जो आजादी की लड़ाई के दौरान हमारे मुल्क के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अंग्रेजी हुकूमत के दौरान लड़ते हुए चले गए, जब देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद भी जो नेता 15 साल, 20 साल जेलों में पड़े रहे, फांसी पर चढ़े, उन्होंने भी इसमें परिवर्तन नहीं किया क्योंकि इस बिल का आना बहुत जरूरी था।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय आज के वैज्ञानिक युग में जब संचार साधनों के कारण दुनिया इतनी छोटी हो गई है, जब वैज्ञानिक विकास के नाते सारा विश्व एक बहुत छोटी सी जगह रह गया है ऐसी स्थिति में जब के०जी०बी० सी०आई० ए० की गतिविधियां बढ़ गई हैं, जब दुनिया के विकसित देश विकासशील देशों की सरकारों को उलटने के नाना प्रकार के षड्यंत्र कर रहे हैं और विदेशी साम्य–वादियों के एजेंट भी अपने देश के अंदर तरह–तरह के रूप धारण करके देश के अंदर तोड़–फोड़ की कार्रवाइयां कर रहे हैं ऐसे वक्त इस कानून का लाना अति–आवश्यक है। आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आप जानते नहीं हैं कि दुनिया के तमाम विकासशील देशों में सी०आई०ए० के षड्यंत्रों के परिणामस्वरूप हत्याएं हुई हैं। मुजीबुर्रहमान की और उनके परिवार की हत्या, चीन में एलेण्ड की हत्या, भुट्टो को फांसी का दिया जाना और लुमुम्बा की हत्या। इस विकासशील दुनिया में ऐसी घटनाएं घटीं जिनके पीछे सी०आई०ए० का षड्यंत्र था और इसी प्रकार से दुनिया के जो विकसित देश हैं, दुनिया के विकासशील देशों में षड्यंत्र कर रहे हैं।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज जब देश में ऐसी स्थिति हो गई है कि यह देश बार–बार जो विदेशी हमलावरों के सामने गुलाम हुआ उसका कारण यह रहा कि हिन्दुस्तानी लोगों ने विदेशी ताकतों की मदद की 1194 में जयचंद ने हिन्दुस्तान

में मोहम्मद गौरी को हमला करने के लिए बुलाया । मोहम्मद गौरी हिन्दुस्तान पर हमला करेगा और यहां की हुकूमत हार जायेगा पृथ्वी राज और हम हिन्दुस्तान के मालिक बन जायेंगे । हुआ यह कि हिन्दुस्तान पर गौरी ने हमला किया पृथ्वी राज को हराया और उसके बाद जयचंद का कत्ल किया और हिन्दुस्तान की गद्दी का मालिक बन गया । आज उसी जयचंद की औलादें जो अंग्रेजी के दलाल थे, जो अंग्रेजों के साम्राज्यवादी पोषक थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी और जवाहर लाल जी का विरोध किया, आजादी की लड़ाई का विरोध किया । उसी जयचंद के खानदान के कालेनाग, जहरीले नाग सी०आई० ए० के एजेंट बन कर, फेयरफैक्स एजेंसी के एजेंट बन कर आज हिन्दुस्तान की हुकूमत को डिस्टेबिलाइज्ड करने की कोशिश कर रहे हैं । सबसे अधिक दुख की बात यह है कि इतने बड़े गद्दारों को हमारे मुल्क में कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो सिपोर्ट कर रहे हैं । इससे देश की आजादी को बड़ा खतरा है । मैं आज सदन में यह बात भी याद दिलाना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान जो बटा या गुलाम हुआ वह इन्हीं कुचक्रों के कारण हुआ ।

1757 में मुट्ठीभर 8–9 हजार अंग्रेजों ने पलासी के अंदर सिराजुदोल्ला की लाखों की फौज को हराया । अमीरचंद और मीर जाफर दोनों गद्दार मिले । दोनों गद्दारों ने मिलकर अंग्रेजों से यह कहा कि तुम सिराजुद्दौला को हरा दो हम तुम्हें हिन्दुस्तान का मालिक बना देंगे । 1757 में मीरजाफर और अमीचंद की गद्दारी के कारण 9 हजार अंग्रेजों की सेना ने सिराजुद्दौला की लाखों की सेना को परास्त किया । 1761 में हिन्दुस्तान पर मोहम्मद गौरी ने हमला किया । मराठे, दिल्ली के हुकमरान और जाट सब मिल कर लड़ाई के मैदान में आ गये । 1761 में अब्दाली ने हमारी सेना को परास्त किया । हमारे देश की अन्दरूनी फूट के कारण विदेशी हमलावारों को मौका मिला । 1526 में राणासागर ने बाबर को हिन्दुस्तान पर हमला करने का न्यौता दिया । उन्होंने कहा कि यहा पर इब्राहिम लोदी की हुकूमत है आप इसको हरा दो तो फिर तुम देश के मालिक बन जाओगे । हुआ इसका उलटा । बाबर ने इब्राहिम लोदी को भी हराया और राणासागर को भी हराया और विदेशियों ने अपनी हुकूमत जमा ली । 1764 में चौसा के मैदान में लड़ाई हुई । एक तरफ मुट्ठी भर अंग्रेज सेना और दूसरी तरफ सारे देश राजे–रजवाड़े । 1764 में समझौता हुआ ब्रिटिश इंडिया कंपनी में और हिन्दुस्तान के राजे–रजवाड़ों में कि हिन्दुस्तान की सारी माल–गुजारी अंग्रेज वसूल करेंगे औ क्रिमिनल राइट्स राजाओं को रहेगा । 1764 में चौसा में यह समझौता हुआ । 1768 में लंकाशायर में पहला कारखाना बना । 1764 से 68 तक अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान से इतनी दौलत इकट्ठी की कि लंकाशायर में जो औद्योगिक कारखाने बनने शुरू हुए वह हिन्दुस्तान की दौलत से शुरू हुए । 1764 के बाद 1799 में फिर अंग्रेजों ने टीपू के कमांडर इन–चीफ को मिला कर अराकाट में टीपू को हराया और हिन्दुस्तान पर विजय पा ली । 1799 के बाद ईस्ट इंडिया कम्पनी ने हिन्दुस्तान के राजे–रजवाड़ों की सम्पत्ति पर कब्जा किया । 1849 में रणजीत सिंह के चारों लड़कों को आपस में लड़ा कर कब्जा कर लिया । 1857 के आते–जाते लार्ड डलहौजी ने हिन्दुस्तान के 584 राज्यों को आपस में फूट डालकर हराया । हिन्दुस्तान के इतिहास में विदेशी हमलावरों की विजय और देसी राज्यों का सर्वनाश तब हुआ जब हिन्दुस्तान के अंदरूनी दुश्मनों ने बाहरी आक्रमणों की मदद की । आज 1947 में आजादी के बाद यानी 40 वर्षों के बाद हिन्दुस्तान की आजादी को नष्ट करने के लिए सी०आई०ए० के एजेंट खुले आम हिन्दुस्तान में छाती चौड़ी करके बोल रहे हैं । राजीव गांधी की सरकार से क्या कहूं ? इस तरह के गद्दारों को इस सरकार को कुचल देना चाहिए । इस तरह के गद्दारों को बचाने के लिए कानूनी बातें चल रही हैं । इससे बड़ा देश का पतन और क्या हो सकता है । अगर विश्व का कोई बड़ा नेता इंडिया में पैदा हुआ जिसकी विश्व में इज्जत बनी हुई थी; विश्व की नेता के रूप में श्रीमती इन्दिरा गांधी विश्व के रंगमंच पर आयी ।

[श्री कल्पनाथ राय]

और 101 राष्ट्रों की चेयरमैन बनी । उस विश्व के नेता की हत्या होती है हिन्दुस्तान के अंदर । यह हिन्दुस्तानियों के लिए कितनी लज्जा और शर्म की बात है ? उनको दिन में 9.15 बजे गोली से मार दिया गया। उनके ही सेक्युरिटी गार्ड ने उनको मारा । विश्व की नेता जिन पर हर हिन्दुस्तानी को गर्व है उनके हत्यारों की इस मुल्क में कुछ गद्दार पैरवी कर रहे हैं । वे भाषण देने का अधिकार भी रखते हैं और देश की जनता उनका भाषण भी सुनती है । इस तरह के पापी, इस तरह के देशद्रोही, इस तरह के जनघाती और राष्ट्रघाती व्यक्तियों को, गद्दारों को इस देश की जनता बर्दाश्त करती है । हम लोग भी उनको सुनते हैं, उनका मुंह देखते हैं, उनका भाषण सुनते हैं । इससे बड़ी आपत्ति की बात और क्या हो सकती है ? हमारे राजनैतिक मतभेद कितने भी हों, लेकिन अगर आज किसी बड़े विरोधी दल के नेता की हत्या होती है तो कांग्रेस पार्टी कभी भी उनके हत्यारों को सपोर्ट नहीं कर सकती है । अगर कम्युनिस्ट पार्टी के नेता श्री नाम्बूदरीपाद की कोई हत्या कर दे तो उसके लिए हमें बहुत दुःख होगा और हम सदैव उन हत्यारों के खिलाफ होंगे । ऐसे जनघाती और राष्ट्रघाती ... (व्यवधान) । राष्ट्रद्रोही हमारे देश में इस तरह की एक्टीविटीज करें ... (व्यवधान) ।

SHRI MURASOLI MARAN (Tamil Nadu); Why. do you want to murder Namboodiripad?

SHRI KALPNATH RAI: I am giving you an example.

SHRI MURASOLI MARAN: Don't quote any names. It is not hi good taste.

SHRI KALPNATH RAI: I know the taste.

SHRI ASHIS SEN (West Bengal) : I am sorry to interrupt my friend here. Actually even after 12 minutes of discussion, we are unable to understand on what subject he is talking on what issue?

SHRI MURASOLI MARAN; That^ is the greatness of Kalpnath Rai.

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय सबजेक्ट यही है कि हिन्दुस्तान में जो टेलीफोन लगे हैं, जो टेलीग्राम आते हैं, जो लेटर्स होते हैं, जो मैसेजज आते हैं, उनको इंटरसेप्ट करने का सरकार को जो अधिकार मिला हुआ है उसी के संबंध में मैं बोल रहा हूं। आप जानते हैं कि इस मुल्क को डिस्टेबिलाइज करने की कितनी कोशिश की गई है । आप यह भी जानते हैं कि हर्षमैन और फैयरफेक्स एजेंसी को अपाइंट करने का फैसला हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री की राय के लिए बिना इस मुल्क के तत्कालीन वित्त मंत्री ने किया, बिना कैबिनेट की राय लिए बिना किया, बिना कैबिनेट की पोलिटिकल एफेयर्स कमेटी की राय लिए बिना किया गया । इन संस्थाओं को कांफिडेंस में नहीं लिया गया ।

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० सत्यानारायण रेड्डी) : आप विषय पर बोलिये ।

श्री कल्पनाथ राय : श्रीमन्, मैं विषय पर ही बोल रहा हूं । बिना प्रधानमंत्री को कांफिडेंस में लिए फेयरफेक्स एजेंसी का अपाइन्टमेंट कर दिया गया । आप जानते हैं कि फेयरफेक्स एजेंसी में उन्हीं लोगों का अपाइन्टमेंट हो सकती हैं जो सी०आई०ए० के रिटायर इम्पलाई हैं । असल में सी०आई०ए० और फेयरफेक्स एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हर्षमैन, जिस पर हिन्दुस्तान का कोई कानून लागू नहीं होता है, उस समय के वित्त मंत्री ने बिना सरकार को कांफिडेंस में लिए उसकी अपाइन्टमेंट कर दी । अगर हर्षमैन कोई गलत रिपोर्ट दे देता तो उस रिपोर्ट के ऊपर भारत सरकार क्या कार्यवाही कर सकती थी ? भारत सरकार का उस पर कोई कंट्रोल नहीं था । छिपे-छिपे हर्षमैन के माध्यम से हिन्दुस्तान के पोलिटिकल सिस्टम को

डिस्टेबिलाइज करने का षड़यंत्र तत्कालीन वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया था । और उस डिस्टेबिलाइज़ेशन के काम में इस मुल्क के एक अखबार इंडियन एक्सप्रेस और उसके मालिक ने उसकी मदद की और हिन्दुस्तान के कुछ गद्दार विरोधी दलों ने भी उसमें मदद दी । अगर साठे साहब के डिपार्टमेंट को यह पता होता कि हर्षमैन और विश्वनाथ प्रताप सिंह में क्या बात हुई, हर्षमैन और जानकीदास में क्या बातचीत हुई, हर्षमैन और भूरेलाल में क्या बातचीत हुई, हर्षमैन और विनोद पान्डे में क्या बातचीत हुई, हर्षमैन और रामनाथ गोयन्का में क्या बातचीत हुई और नसली वाडिया और हर्षमैन के बीच क्या बातचीत हुई तो सही स्थिति का पता चल जाता । सरकार ने इन्टरसैप्ट नहीं किया इसलिए उनको मौका मिला । वे एजसी बनाकर हिन्दुस्तान को डिस्टेबिलाइज करने की कोशिश करने लगे । आदरणीय उपसभाध्यक्ष, महोदय, मार्च के महीने, में एक तरफ भारत के राष्ट्रपति सरकार को आज बरख्वास्त करेंगे, कल बरख्वास्त करेंगे इस तरह की बातें थी । और दूसरी तरफ 10 अप्रेल, को विश्वनाथ प्रताप सिंह का इस्तीफा होता है और 14 अप्रेल, को स्वीडन रेडियो हिन्दुस्तान की सरकार पर आरोप लगाता है । 10 अप्रेल, को इस्तीफा और 14 अप्रेल, को स्वीडन रेडियो से ब्राइब लेने का चाज और 16 अप्रेल, को भारत सरकार उस को जांच के लिए नियुक्त करती है । हर्षमैन का अमेरिका से स्वीडन जाना और नसली वाडिया का हर्षमैन को ओबराय होटल में छिपाना और हर्षमैन का इंडियन एक्सप्रेस के मालिक से मिलना यह सारा एक षडयंत्र था जो कई महीनों तक होता रहा और भारत सरकार को इसकी जानकारी नहीं हुई । भारत सरकार को सी०आई०ए० की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जितने भी अधिक इंटरसैप्शन की आवश्यकता है उसका अधिकार मिलना चाहिए । विकासशील देशों में इस तरह से, लूंज-पुंज तरीके से डैमोक्रेसी काम नहीं कर सकती । दुनिया के कई देशों में जनतंत्र की हत्या हो चुकी है । एशिया अफ्रीका के कई मुल्कों में जनतंत्र आया और खत्म हो गया । केवल दो-तीन देशों में ही जनतंत्र का दिया टिमटिमा रहा है । इस तरह से, ढीले-ढाले तरीके से जनतंत्र काम नहीं कर सकता है । जनतंत्र में स्ट्रांग गवर्नमेंट होनी चाहिए और उसकी जो गुप्तचरी की प्रणाली है उसको बहुत मजबूत बनाना होगा । जो हमारे देश के विरुद्ध साम्राज्यवादी षडयंत्र कर रहे हैं उस पर हमें गहरी नजर रखनी होगी और उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कदम उठाने होंगे वरना देश की आजादी नहीं बच सकती है । हम भारत की एकता और अखंडता को बचाने की बात करते हैं हम भारत की एकता और अखन्डता को बचाने का नारा देते हैं लेकिन खुलेआम आज पंजाब में क्या हो रहा है ? बार्डर के उस पार 22 चैक पोस्ट सेन्टर बने हैं, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने के लिए वहां पर हजारों निर्दोष लोगों की हत्यायें हो रही हैं, खून बहा रहे हैं और उन तस्करों, उन आतंकवादियों, उन स्मगलरों, उन गद्दारों, उन राष्ट्रघातियों की खुलेआम कुछ लोग कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं । इन गद्दार लोगों को कुछ लोग एम० पी० बना रहे हैं और ऐसी राजनैतिक पार्टियां जीवित भी हैं और राष्ट्रीय विकल्प बनने का दावा कर रही हैं ।

. . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री वी० सत्यनारायण रेड्डी) : आप विषय पर आइए ।

. . . .

श्री कल्पनाथ राय : सरकार इंटरसेप्ट करे गद्दारों की हरकतों को । यह एक बुनियादी सवाल है और इस सवाल के ऊपर इस संसद को सोचना चाहिए । आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, भारत हजारों हजार साल पहले सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था । लेकिन इः राष्ट्रघाती और जनघाती गद्दारों की गद्दारी के कारण हिन्दुस्तान गुलाम हुआ, बार बार गुलाम हुआ और महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, सुभाषचन्द्र बोस और गोखले के नेतृत्व में देश की आजादी

[श्री कल्पनाथ राय]

की लड़ाई लड़ी गई, 1885 में कांग्रेस बनी और 1947 में देश आजाद हुआ। 57 वर्षों के त्याग, तकलीफ, कुर्बानी, फांसी और जेल के बाद हिन्दुस्तान 15 अगस्त, 1947 को आजाद हुआ। लेकिन हिन्दुस्तान का जो करेक्टर है, जो लाखों लोग इस मुल्क की आजादी की लड़ाई में लड़े, उस दौर में महात्मा गांधी ने नारा दिया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो और हिन्दुस्तानियों तुम अंग्रेजों का साथ मत दो। लेकिन तब भी हिन्दुस्तान के 242 राजा-रजवाड़ों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। एक भी. प्रिवीपर्स पाने वाले हिन्दुस्तान के राजा-रजवाड़ों ने आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का साथ नहीं दिया। हजारों जागीरदार थे, हजारों जमींदार थे, हजारों तालुकेदार थे, एक ने भी आजादी की लड़ाई में गांधी जी का साथ नहीं दिया। केवल कालाकांकर के राजा दिनेशसिंह के परिवार ने आजादी की लड़ाई में साथ दिया। इसलिये उपसभाध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी की जिंदगी के दौरान, महात्मा गांधी के सामने भारत का बंटारा हुआ क्योंकि अंग्रेजों ने जिन्ना की पीठ पर हाथ रखा था। और हिन्दुस्तान का बंटवारा करा दिया। उस समय महात्मा गांधी ने कहा कि अंग्रेजों की फौज में भर्ती मत हो तब भी हिन्दुस्तान की सेना में 20 लाख सैनिक भर्ती हो गये। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने 18 लाख सैनिकों को टरमिनेट कर दिया और दो लाख सैनिक बाकी बच गये। हिन्दुस्तान की जनता की राष्ट्रीयता, राष्ट्र चेतना, वतन के लिए हमारे अन्दर मर मिटने की जो भावना है जब तक यह भावनाएं हर नागरिक के मन में नहीं होंगी तबतक हम अपने राष्ट्र को बचा नहीं सकते हैं। हमारे देश के अन्दर एक अजीब स्थिति पैदा हुई। श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या हुई एक एक्सीडेंट आल आफ ए सडन हुआ विदेशी ताकतों के षडयन्त्र के परिणामस्वरूप। लंदन से जगजीत सिंह चौहान ने घोषणा की कि हम इन्दिरा गांधी की हत्या कर के दम लेंगे। गंगा सिंह ढिल्लों ने बयान दिया कि हम इन्दिरा गांधी की हत्या कर के दम लेंगे। जगजीत सिंह और गंगा सिंह ढिल्लों जैसे गद्दारों से मिलने के लिए इस देश के अन्दर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उन से लंदन और इंग्लैंड में जा कर के मिलते हैं। इन गतिविधियों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय षडयन्त्र के परिणाम स्वरूप इन्दिरा जी की हत्या हो गई। यह अंग्रेजों ने माना, साम्राज्यवादियों ने माना कि अब हिन्दुस्तान टूट जाएगा और इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। भारत की महान जनता को धन्यवाद है कि सारे देश के लोगों ने उस समय श्रीमती इन्दिरा गांधी के बेटे को भारत का प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री बनने के बाद राजीव गांधी ने देश की जनता के सामने एक बात कही स्वच्छ प्रशासन, स्वच्छ सरकार, कड़ा प्रशासन, यह नारे दिये। भारत की जनता ने राजीव गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया। हमारे देश की सब से बड़ी पूंजी राजीव गांधी थे, सब से बड़ी केपिटल राजीव गांधी थे और राजीव गांधी के इस रूप को कैसे नष्ट कर दिया जाए इसके लिए देशी, विदेशी षडयन्त्र लगातार हो रहे हैं और विदेशी ताकतों के बल पर हिन्दुस्तान के अन्दर पिछले साल से लगातार चरित्र हत्या, चरित्र हत्या की राजनीति हो रही है ताकि जो हमारी पूंजी बची हुई है वह भी नष्ट कर दी जाए और देश में ऐसा माहोल बनाया जाए। सी०आई०ए० की नीति रही है जिन मुल्कों में उसने हकूमत को उखाड़ा है जिन मुल्कों में बड़े बड़े राष्ट्र नेताओं की हत्याएं कराई हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। शेख मुजीबर रहमान की हत्या कराई गई इससे पहले लगातार 6 महीने तक शेख मुजीबर रहमान और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते रहे। चिल्ली के ऐलेंडे की हत्या हुई, लुमुंबा की हत्या कराई गई पहले उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते रहे, विकासशील देशों के चीफ एग्जीक्यूटिव हेड्ज की जितनी हत्याएं हुई उन देशों के चन्द नेताओं और वहां के मीडिया के माध्यम से उनकी चरित्र हत्या करके उनकी इज्जत को मिट्टी में मिलाया गया और जब वे कंट्रोवर्शियल बन गये तो उनकी हत्या करवा दी गई। यह उनकी ग्लोबल पोलिटिक्स है। आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान अपने पैरों पर खड़ा होने वाला देश है और हिन्दुस्तान द्वारा नीति जो अपनाई गई है वह स्वावलम्बन की नीति है सेल्फ रिलायंस की नीति है अपने पैरों पर खड़ा होने की नीति है। सारे एशिया और अफ्रीका के मुल्कों में हिन्दुस्तान एक ताकतवर देश के रूप में उभर रहा है। अमरीका बेसिकली

इसीलिए हिन्दुस्तान का विरोधी रहा है और चाहता रहा है कि हिन्दुस्तान हम से फिनिश्ड गुड्ज खरीदे, पक्कामाल खरीदे और कच्चा माल हमको दे । हिन्दुस्तान न सीमेंट के कारखाने बनाए, न इस्पात के कारखाने बनाए, न उर्वरक के कारखाने बनाए, न हथियारों के कारखाने बनाए, न तेल की खोज करे और न खनिज पदार्थों की खोज करे । कच्चा माल हम को दे और पक्कामाल हम से ले । भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने, श्री लाल बहादुर शास्त्री ने नहीं माना और प्रधानमंत्री, श्री राजीव गांधी इस नीति को नहीं मानने वाले हैं । इसीलिए अमरीका ऐसी हकूमतें चाहता है जो उसके इशारे पर चलें यानी अमरीका के इशारे पर चलें श्री गोपालसामी एक फ्रीडम फाइटर के लड़के हैं इसलिए मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता

3.00 P.M. लेकिन जो बुनियादी पालिसी है वह दोस्ती और मीठे बोलों से नहीं बनती हाथ जोड़ने से नहीं बनती है । हमारे और अमेरिका के पौलिटिकल एप्रोच में बुनियादी फर्क है । वह किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि हिंदुस्तान अपने पैरों पर खड़ा रहे, नयी अर्थव्यवस्था को नये अंतर्राष्ट्रीय इक्नामिक आर्डर को बनाये । हिंदुस्तान यह चाहता है कि डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच ट्रांसफर आफ टक्नालाजी हो व दोनों विकसित और विकासशील दुनिया के देशों के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय इक्नामिक आर्डर नहीं है वह इस्टेब्लिश हो । पूरी दुनिया एक हो, सारी दुनिया में शांति हो, विकास हो और हम अपने पैरों पर खड़े हों । यह हमारा एप्रोच है । इस एप्रोच के अमेरिका और अन्य साम्राज्यवादी मुल्क विरोधी हैं । हिंदुस्तान के पोलिटिकल सिस्टम को डीइस्टेब्लाइज करने की लगातार कोशिश हो रही है । इंदिरा गांधी के जमाने में हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को जितना खतरा नहीं था जवाहर लाल नेहरू जी के जमाने में हिन्दुस्तान की एकता और अखंडता को जितना खतरा नहीं था उससे बड़ा खतरा राजीव गांधी जी के जमाने में हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को है और कम्युनिकेशन संचार के माध्यम से देश के दुश्मन भारत के पोलिटिकल सिस्टम को डिसरप्ट करने के नाना प्रकार के षडयंत्र कर रहे हैं । इसलिए आज की परिस्थिति में जो यह बिल है इसका रिलेवेंस ज्यादा है यह रहना चाहिए ताकि हम सी०आई०ए० और अन्य विदेशी ताकतों के षडयंत्रों पर पूरी निगरानी रख सकें और मजबूती से उनके खिलाफ कदम उठा सकें । आज सारा सवाल राजनीतिक बन गया है । राजीव गांधी जी चाहें जो करेंगे जितना अच्छे से अच्छा काम करेंगे विरोधी दल के लोग उनके खिलाफ बोलेंगे । मुझे अच्छी तरह से याद है जब सातवां बेड़ा अमेरिका का वापस हो गया और 1971 में बंगलादेश पर भारत की विजय हो गयी और तिरंगा झंडा हिमालय पर फहराया गया तो कई विरोधी दलों के नेताओं के मुंह काले हो गये । यह क्या हो गया । राष्ट्र की उपलब्धि को इंदिरा गांधी की उपलब्धि मानने लग गये और कैसे इंदिरा गांधी खत्म हो इस पर विचार करने लगे । इस तरह की मनोवृति के लोग इस तरह के राष्ट्रघाती पर्वटेंड विभाग के लोग देश बना सकते हैं ? देश का संचालन कर सकते हैं ? इसलिए आज की परिस्थिति में जब कि देश में भारी इन्टर्नल और एक्सटर्नल डैन्जर्स हैं ऐसी स्थिति में हमारे विद्वान महासमाजवादी मित्र साठे जी जो संचार मंत्री हैं बहुत विद्वान व्यक्ति हैं सारी दुनिया को जानते हैं दुनिया के इतिहास और भूगोल को समझते हैं जिओ पोलिटिकल सिचुएशन को समझते हैं जानते हैं उनको कैबिनेट के अंदर प्रधान मंत्री को पूरी बातें डिटेल मे बतानी चाहिएं और उनका मार्गदर्शन करना चाहिए क्योंकि इस राजीव गांधी को हम सबने मिलकर बनाया है । जो राजनीति के तिकड़मी धूर्त और एक से एक तिकड़मबाज लोग हैं उनके बीच में उन्हें काम करना है । उनका वही साथ दे सकते हैं जो इंदिरा गांधी के साथ मरने मिटने वाले लोग थे । श्री वसन्त साठे जी उन्हीं लोगों में से नम्बर एक हैं । हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे राजीव गांधी को जहां तक हो सके यह सब बतायें । आज राष्ट्र के अंदरुनी और बाहरी राष्ट्र के दुश्मन राजीव गांधी के दुश्मन एक षडयंत्र

[श्री कल्पनाथ राय]

कर रहे हैं । राष्ट्र को डीइस्टेब्लाइज कर रहे हैं । उपसभाध्यक्ष महोदय कांग्रेस जाये तो आये कौन ?

If there is no Congress Government, there will be anarchy; there will be no Government.

ये बीसियों पार्टियां बरसाती मेंढकों की तरह फैसी हुई पार्टियां कभी एक नहीं हो सकती हैं । ये तय नहीं कर सकती हैं कि उनका अगला प्रधान मंत्री कौन हो सकता है । इनमें कभी एकता नहीं हो सकी है ... (व्यवधान)

महोदय उसी कुर्सी पर बैठने के बाद जरा निष्पक्ष होइये । इसलिये मैं आपसे निवेदन ...

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी) : जो बिल आपके सामने है उस पर कहिए ।

श्री कल्पनाथ राय : वह कुर्सी ऐसे महत्व की है कि उस पर बैठने के बाद हमें अधिकार दीजिए ।

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी) : मैं जानता हूं ।

श्री कल्पनाथ राय : आज कांग्रेस की सबसे बड़ी पूंजी राजीव गांधी है एक इमरजेंट नयी दुनियां के नेता । लीडर आफ द न्यू वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्री के नेता । हरारे के अंदर जाकर भारत की इमेज को ऊंचा उठाने वाले । इतना बढ़िया नेता हिंदुस्तान में किसके पास है किस दल के पास है यह बतायें । नहीं है कि अगर राजीव गांधी हटें तो कोई बढ़िया आदमी आ जायें । आपमें कुछ है नहीं आप में एकता है नहीं । आप एक हो नहीं सकते आप अनार्की करने के अलावा मारकाट खून कत्ल स्थापित करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते । जिसको कांग्रेस पार्टी से निकाल देंगे तो उसको आप नेता बनालेंगे । जिसको कांग्रेस पार्टी से निकाल देंगे उसको नेता बना देंगे । कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ती है । चिमनभाई पटेल को विरोधी दलों के आंदोलन के कारण इंदिरा गांधी ने कांग्रेस से निकाल दिया । चिमनभाई पटेल को जनता पार्टी ने गुजरात का अध्यक्ष बना दिया, चंद्रशेखर जी ने उनको अध्यक्ष बना दिया, चरण सिंह ने उनको अध्यक्ष बना दिया। बीजू पटनायक को कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के कारण निकाल दिया, तो मोरारजी देसाई ने उनको अपनी केन्द्रीय केबिनेट में ले लिया, एच० एम० पटेल को भ्रष्टाचार के कारण निकाल दिया, तो जनता पार्टी ने उसे फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया । विश्वनाथ प्रताप सिंह को कांग्रेस से निकाल दिया, अरुण नेहरू को निकाल दिया, तभी सब दिन भर बैठ कर... वह ब्रह्मचारी चन्द्रास्वामी प्रधान मंत्री तय कर रहे हैं ।... (व्यवधान) चन्द्रास्वामी को मैं बुरी तरह से चुनाव में हराऊंगा, अगर राजीव गांधी हमको इसकी इजाजत दे दें । वह किस खेत की मूली है, वह है क्या ? अगर राजीव गांधी हमें हुक्म दें, तो मैं उनको हरा कर के लौटूंगा । आप नहीं जानते हैं हम तो हमेशा मार खाये हैं अपने अंदर से, अपने लोगों की वजह से, आज जिनको दिन भर कहते थे कि यह बेईमान है उनकी यह कानफेंसेज बुलाते जा रहे हैं । खाली विरोधी दल के लोग उठते बैठते, सोते-जागते अंदर-बाहर कहते थे कि फलां आदमी बड़ा बेईमान है और अब वही आदमी इनके साथ खड़ा है वही इनका नेता बन गया है । जो कांग्रेस पार्टी निकाल दे, वहीं इनका नेता । तो इस तरह के नकली एटिट्यूड से देश नहीं बनता और हमारे मुल्क के वामपंथियों की क्या हालत है ? इन्होंने जर्मनी में फासिस्टो का साथ दिया, हिटलर आया और एक-एक का कतल कराया, चार लाख का कतल करवा कर फेंक दिया ।

जब सन् 1942 में सारा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तो उस समय यह अंग्रेजों के साथ थे । सन् 1944 अंग्रेजो में कम्यूनिस्ट पार्टी की पोलितब्यूरो ने खालिस्तान बनने का प्रस्ताव पास किया

था । . . . (व्यवधान) यहां मैंने कहा कि 1944 में कम्यूनिस्ट पार्टी की पोलितब्यूरो ने खालिस्तान बनने का प्रस्ताव किया था। क्या यह सही है कि गलत है, बोलिये ? कम्यूनिस्ट पार्टी की पोलितब्यूरो ने पाकिस्तान बनने का समर्थन किया था। कम्यूनिस्ट पार्टी ने हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दिया था—मैं यह कह रहा हूं ।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं तो हिंदुस्तान के वामपंथियों से ही अपील करता हूं कि जो दुनिया साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, उस साम्राज्यवाद के खिलाफ विकासशील देशों का नेता हिंदुस्तान है, राजीव गांधी हैं । हर समाजवादी को राजीव गांधी के हाथों को मजबूत बनाना चाहिए और प्रतिक्रियावाद, रिएक्शनरी के खिलाफ युनाइटेड फ्रंट बनाना चाहिए । लेकिन वह आज काम नहीं करेगा ।

कम्युनिस्ट पार्टी की तो हालत यही है कि जन्म के समय मृत्यु का बाजा और मृत्यु के समय जन्म का बाजा । जब जन्म होगा, तो यह मृत्यु का बाजा बजायेंगे और जब कोई मृत्यु होगी, तो जन्म का बाजा बजायेंगे । इनका इतिहास तो यही है ।

इसलिए आज के सन्दर्भ में गोपालसामी जी जो बिल लाये हैं, इसकी बड़ी रेलेवेंस है और जो देश में सी०आई०ए० की और जो विदेशी ताकतें और जो एजेंट्स काम कर रहे हैं, अपने एजेंटस के माध्यम से सी०आई०ए० ने एक किताब प्रकाशित की है—जो भी सी०आई०ए० एक्टिविटीज होती हैं, वह बारह साल बाद प्रकाशित की जाती है । उसमें लिखा है कि एशिया और अफ्रीका के मुल्कों में अगर कम्युनिज्म को रोकना है, तो रेलीजियस फंडेमेंटेलिस्ट ताकतों को बढ़ावा दे दिया जाए, ट्राइबल्स और फेनेटिक रेलीजियस ग्रुप्स को बढ़ावा दिया जाए और उसी नीति के तहत उन्होंने एशिया और अफ्रीका के मुल्कों में ट्राइब्लस को उभार कर, जातियों को उभार कर, सम्प्रदाय को उभार कर, शिया-सुन्नी को उभार कर, बौद्ध और गैर-बौद्ध को उभार कर, हिंदू-मुसलमान को उभार कर, जगह-जगह पूरे एशिया और अफ्रीका के मुल्कों में तनाव, झगड़ा, संघर्ष, लड़ाई, क्या-क्या हुआ । इस नीति के तहत पूरी दुनिया का शोषण करना उनका मेन आबजैक्टिव है । उस आबजैक्टिव के तहत वह काम करते हैं और ग्लोबल पालिटिक्स में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की पोलिटिकल पालिसी उसे सूट नहीं करती । इसलिए वह हिंदुस्तान को डी-स्टेबेलाईज करने की दिन-रात कोशिश करते हैं । और उस कोशिश में उनके एजेंट विभिन्न पार्टियों के रूप में विभिन्न दलों के रूप में, सदाचारी के रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में, चन्द्रास्वामी के रूप में, मोर्चे के रूप में उनकी बात करते हैं। ऐसी स्थिति से देश को बचाना है। मान्यवर, स्थिति गंभीर है, परिस्थिति नाजुक है । ऐसी स्थिति में भावनाओं में नहीं बहा जा सकता । इसलिए देश के अतीत की आजादी की लड़ाई को सामने रखते हुए भविष्य के सुहावने दिन का निर्माण करने के लिए, भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए, सी०आई०ए० और दुनिया की साम्राज्यवादी ताकतों पर कड़ी निगाह रखने के लिए जो संचार मंत्रालय का इंटरसैप्शन आफ् मेल एंड इंटरसैप्शन आफ् द टेलीफोन सिस्टम है उसको और मजबूत बना करके भारत की एकता और अखंडता को बचाने की कोशिश करनी चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूं । धन्यवाद ।

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी) : श्री राम जेठमलानी ।

श्री राम जेठमलानी (कर्नाटक) : मान्यवर, उपसभाध्यक्ष जी, मैं इस गोपालसामी के बिल के समर्थन में हाउस का कुछ समय लेना चाहता हूं, मगर समर्थन करते हुए कुछ हद तक मैं अपने प्रेमी मित्र श्री कल्पनाथ राय के साथ भी शामिलराय हूं। वह ठीक कहते हैं कि देश की सीमा के अन्दर और देश की सीमा के बाहर आज काफी खतरा मौजूद है, देश को सावधान रहना चाहिए। देश की स्वतंत्रता, देश की

[श्री राम जेठमलानी]

आजादी, देश की लोकशाही के दुश्मन सीमा के अन्दर और बाहर काफी पैदा हो चुके हैं। मैं मानता हूं कि आज देश एक नाजुक कड़ी पर खड़ा है और यह भी मैं मानता हूं कि जिसको हमने रहबर समझा था, वे रहज़न निकले और जिसको हमने देशभक्त समझा था वे देशद्रोही निकले। जिसको हमने गरीबों की सम्पत्ति का रक्षक समझा था वे चोर और डाकू निकले। मगर वह कहां केन्द्रित हैं, मैं उस सवाल में नहीं जाना चाहता हूं उस सवाल का फैसला हरेक व्यक्ति के अंतःकरण को करना है और आखिर में लोकशाही के सिद्धांतों के अनुसार उस सवाल का जवाब जनता की महा-अदालत को देना है। महा-अदालत को जब भी वह अवसर मिलेगा तो जनता उस सवाल का जवाब देगी। तो उस जवाब से हम सब बंधे रहेंगे। हम 21वीं सदी की तरफ तेजी से जा रहे हैं, मगर हमारा दोस्त गोपालसामी उसी दिशा में हमको ले जाने के लिए कुछ मदद कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी गालियों की धूल डाली गई कि देश-द्रोही है, सी.आई.ए. के एजेंट हैं वगैरह-वगैरह बातें करके जिनको मैं नज़रअंदाज़ करना चाहता हूं, क्योंकि गाली से समझ नहीं बढ़ती, कोई तकरीर नहीं बनती, कोई दलील नहीं बनती। मैं गालियों का जवाब नहीं देना चाहता हूं, लेकिन शासकों का चरित्र, इखलाक कोई भी शासक होगा जिसके हाथ में राजनीति की ताकत आती है वह 19वीं सदी या 20वीं सदी या 21वीं सदी का होगा उसका चरित्र और इखलाक वही होगा। यह कांग्रेस और जनता का सवाल नहीं है। जनता सरकार जब भी बनी थी तब भी मैंने कहा था कि कई ऐसे कानून हैं जो कि अंग्रेज़ सरकार के बनाए गए हैं मगर उनको रद्द करना चाहिए लेकिन दो-ढाई वर्षो में समय नहीं मिला कि उन काले कानूनों को हम अपनी क़ानून की किताब से बाहर निकालें। मैं अपने दोस्त गोपालसामी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 21वीं सदी में, दो कानून जो अंग्रेज़ सरकार ने बनाए थे हिन्दुस्तान की जनता के ऊपर अपनी ताकत मजबूत करने के लिए और हमारे हिन्दुस्तान की गुलामी को मजबूत करने के लिए अगर हमारा दोस्त गोपालसामी कहता है ऐसे जो कानून बनाए गए थे, उनको रद्द किया जाए क्योंकि हम 21वीं सदी की तरफ जा रहे हैं और तेजी के साथ जा रहे हैं तो उनके ऊपर गालियों की इतनी बड़ी बारिश गिरी है जो कि मैंने अपने कानों से सुनी है। मुझे बड़ा दुख है इन बातों का।

उपसभाध्यक्ष जी, माफ कीजिए, यह एक जज स्टीवेंस, जिसकी सारे अमरीका में ही नहीं बल्कि सारी दुनियां के देशों में इज्जत है, उन्होंने अपने सुप्रिम-कोर्ट के फैसले में कहा है:—

"Throughout our history, Congress ... "—this refers to the US Congress; this does not refer to the Congress here—" ... respected the individual's interests in private communications. The notion that private letters could be opened and inspected without notice to the sender or the addressee is abhorrent to the tradition of privacy and the freedom to communicate, protected by the Bill of Rights. I cannot believe that any member of the Congress would grant such an authority without considering these constitutional implications."

ये हैं बीसवीं सदन के जुरिसप्रुडेंस, ये हैं बीसवीं सदी के सिद्धांत। मगर यह जो दो कानून, जिसको गोपालसामी जी रद्द कराना चाहते हैं, वह उन्नसवीं सदी के सिद्धांतों के ऊपर बने हुए हैं, वे आऊटडेटेड फिलोसफी के ऊपर बने हुए हैं, अगर हमें देश को बढ़ाना है तो उस फिलोसफी को हमें नष्ट करना है। मैं यह नहीं चाहता हूं और यह मेरी राय भी नहीं है कि सरकार को ताकत नहीं होनी चाहिए; टैलीग्राफिक कम्युनिकेशन हो या पोस्टआफिसेज में कोई आर्टिकल हो या पत्र हो, उनके ऊपर

उनका कोई कंट्रोल नहीं रहे। हर सरकार को किसी हालत में यह अधिकार आवश्यक है वह टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन को इण्टरसेप्ट करे और यह भी अधिकार होना चाहिए, किसी हालत के अंदर वह पोस्ट-आफिसेज में जाकर पोस्टल कम्युनिकेशन और पोस्टल आर्टिकल्स का इंसपेक्शन करे, उनको देखे। मगर मेरी राय है कि उनके लिए पाबंदी होनी चाहिए, उनके लिए कुछ सेफगार्डस होने चाहिए। पाबंदी और सेफगार्ड यों हों कि पहले तो आपको बताना होगा नागरिक को, कि यह काम जुर्म का काम है।

You must first precisely define crimes. You must tell an individual and the citizen that this is what you are supposed to do, this is what you are not supposed to do. Vagueness in the definition of crimes and conduct is the first hallmark of arbitrary power. In the interest of public safety, public security, that a Government officer should be empowered to do certain things and intercept communications and intercept postal articles i_s an exercise of arbitrary, dictatorial power which is inconsistent with any decent democracy and the rule of law. What I suggest is that the power to intercept and the power to seize postal arieles should be confined to the puni-shment^ investigation and the preven- tion of serious cognizable crimes. It is only for this purpose that this power should be capable of being exercised. And even when the powers are to be exercised for these limited purposes, there must be Safeguards. Those safeguards are that you must go to a judicial officer, a Magistrate a Sessions Judge a High Court' Judge and persuade that judicial officer that this is necessary for the prevention of crime and conspiracy and seek his permission and the search warrant, •and then armed with the search warrant, you can intercept articles and you can intercept even telegraphic communication Isecause the law which was made by the British did not respect judicial power because at that -time judicial power was mixed with executive power and there was no separation principle which the great Indian National Congress started and which has now become $_a$ part of the Indian Constitution but which, today, the Congressmen do not understand unfortunately. I am talking of the very plank of the freedom movement which was started by the Congress itself. It is in pursuance of that today I say that the power must not be vested in the executive. It must be subject to judicial supervision and control and the judiciary must authorise the interception of these articles before you can permit this kind of a gross violation of what is essentially a private communication. Sir, I want to take only one minute more. See the termination power. Under this termination power letters between husband attd wife could be taken charge of. And here whaj can be taken charge of is the press corres-pondent sending documents to his press for publication. The -Government of the day may not like it, information for example the telex which came from the Indian Ambassador in Germany informing the Ministry here that there were agents and kickbacks. Now if some officer of the Government thought it wise, he would say it is contrary to our national security. He would censor it. The most important difficulty in the existing law is that there is not even an obligation once you intercept, once you seize, there is no obligation to report so that at least *ex* post facto somebody should be able to go to judiciary and claim redress that my telegraphic messages, my pes-tal communications are being unlaw-fully and capriciously interfered with. There is the power finally to dispose erf.- You.can seize a telegraphic communication and destory it. You can sei^e a postal article, it may carry important sensitive documents which are essential for the exposure of corruption and exposure of designs against the -country itself, -those can be finally done away with.[1] There is the power to dispose of. This unbridled power, this unchecked power should not be

[Shri Ram Jethmalani] there. Of course, I am quite reconciled to the fact that the charcter of the rulers will never change whether it was the 18th or 19th century or -whether it is the 20th century, that character will not change.. There will be this kind of opposition. There will he this kind of abuse. But I suggest that this measure is a measure which is consistent with the principles of the Indian National Congress. But the opposition to this Bill is inconsistent with the great principles that they talk. And, Sir, I heartily recommend to the House the acceptance of this measure. Sir, we never intercepted and w'e never interfered with. I hope Mr. Sathe will at least see to it that the debate is kept at some respectable level. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI B. SATYANARAYAN REDDY): Nothing of this will go on record.

SHRI RAM JETHMALANI: Sir, I heartily recommend this Bill and I heartily recommend this Bill to those who believe really in the principles of the Congress and who do not merely parade the principles of the Congress for the sake of public 'consumption. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI B. SATYANARAYAN REDDY): Yes, Mr. Ram Chandra Vikal-^-you do not want to speak. All right. Yes, Mr. A. G. Kulkarni—not present. All right, Mr Das Gupta.

SHRI GURUDAS DAs GUPTA (West Bengal); Mr. Vice-Chairman, Sir, it is really a pity that a law made by the British, is still in vogue in our country. It is really a pity that 1985 ig stiil alive in, 1988. The. world has changed. The Government has chang-ed. The people at the helm of affairs have changed. But the instruments that were usea by the foreign rulers, are still being used. It fc a tragedy that we are carrying forward the *legacy* of British imperialism. It is a tragedy that the weapon that was used to beat down Jawaharlal Nehru and Kamla Nehru is being used by their grandson to beat down his own political opponents. It is not only a case of tragedy. I should say it is the greatest disaster for the national tradition. It is a disaster, for the national tradition . because the Congress had grown in the course of the mainstream of national movement while fighting for freedom and, at the same time fighting for democracy. The tri-colour was not a monopoly of few persons, but it was the flag of liberation held aloft by millions of our people, making supreme sacrifices. Therefore, the saga of India's independence is the saga of sacrifice of millions, and in the course of the sacrifice, had grown a tradition, and in course of the tradition, Indian nation has fought for freedom. At the same time, we had held aloft the banner of democracy and it is no wonder that democracy lives here in India while democracy has been trampled down in other parts of- this country which had fallen apart because of partition that took place. Democracy is alive in India whereas totalitarianism-is in, Pakistan and shackles on democracy are there in Bangladesh. Therefore, we are the only nation, we are the only part of that great undivided Indian nation who still carry forward the tradition of the Indian national movement. Really in that sense, it is totally inconsistent that the ins-rument made by the British is still being applied by a Government which is in power in India today. Therefore, the Minister and the Government that rules, must say why it does not feel ashamed to carry forward the legacy of the British imperialism. They must tell us why they do not put off the tradition that was created by the "British. Therefore, it is a matter of national dishonour; it is a matter of Rational disrespect; it is a matter *et* bein? totally inconsistent with the tradition that has been created by tfte-innumerable martyrs of this country.

My point is the, security environment has always been posed hy rulers ag the condtion for the restriction of democracy. My point is, It has been proved in the world that democracy can only be a requisite for the national security; democracy cannot be sacrificed, and should[1] not be sacrificed, for 'ensuring national security. Therefore, it *is* true that India is under the threat of alien forces; it is true that attempts are being made to destabilise our country; it is true that the shadow of imperialism is hanging over this great nation. It is quite true. It is quite true that forces of secession are at work; it is quite true that attempts are being made to balkanise the country. Kqually it is true that forces of destabilisation, forces of terrorism, forces of imperialist conspiracies, can only be fought by upholding the banner of freedom. Threat to democracy is also a threat to national security. Therefore, the possibility of terrorist activities in the country should not be the reason for curtailing democracy or victimising the national tradition.

It is n°t only a question of legalistic dialogue; it is not only a question whether the Government should have the right to have a peep into the private affairs—it is of course very important from the standpoint of individual freedom—but what is more important, the State adopting terroristic methods. This is a camouflaged terroristic method; it is a method to grab private communication. This is a terroristic method to withhold communication that I might be sending to my wife, that I might be sending t6 m_v friends, that I might be sending to my comrades. It is a terroristic method. Whether a civilised government should indulge in terroristic method in the name of fighting terrorism, in the name of defending the national security, is the question. It is a civilised Government. We are living in an advanced stage of India's civilisation. When the civilisation is advancing, the Government seems to be uncivilised.

My fourth point is, should a government, at the peril of democracy, indulge in. such things which lead the country to further anarchy? If you indulge in terroristic methods, there is bound to be a counterblast, and that counterblast can only foe in the same way that you are adopting. Therefore, Sir, the practice of protecting democracy, upholding democracy, always creates a situation where democracy is protected by everybody. If the Government breaks democracy, there is always a tendency to break democracy by others. When the custodians of law and order become the offenders, then, I think, there will be contempt for law and not respect for law.

From all these considerations, therefore, Mr. Vice-Chairman, I urge upon *he Government to be a little more civilised and agree to withdraw this practice that was resorted to by an alin, uncivilised, Government. I appeal to the Government *to* be a little more civilised and see that this undemocratic step does not create a situation where there will be contempt for democracy. I want them to be more considerate and display not contempt but respect for democracy.

Thirdly, Mr. Vice-Chairman, I believe, and it has been proved beyond doubt, that democracy is the prerequisite for national advancement. Look at the Soviet Union. Comrade Gorbachev is speaking of open dialogue. Comrade Gorbachev is speaking of open criticism. Comrade Gorbachev is speaking of something new to the whole world. Democracy is being established, not in words, but in deeds. This is happening in the Soviet Union, a country whom you accuse of being a close country. That country is learning from its own experience. Please do not take more time to take the same lesson. If the great Soviet people can" be very frank in saying «Yes: * We did commit some mistakes', why should you feel ashamed in admitting

[Shri Gurudas Das Gupta] 'Yes; we committed gome mistakes'? Let us take the lesson.

Therefore, Sir,' democracy has to be nourished, democracy has to be preach, ed, democracy has to be protected, the flag of democracy must be unfurled. Therefore, I believe, the Government which boasts of leading the greatest democracy in the world, shall do what it promises and there will not be a gap belween promise and practice. Sir, I call this practice draconian. I call this piactice anti-democratic. I call this piactice extra-parliamentary. I call this practice savage. I call this practice totally inconsistent with human relationship and behaviour. I call this practice totally inconsistent with the emergency of democratic forces iu the country and outside.

Therefore, Sir, I believe, Government will feel it necessary not to go back to 1885 but move forward towards the Twenty-first Century, not only in terms of some promises, some hollow promises, but in terms of its own practices. Let us move forward towards the next Century. Let us give uP the practice of 1885. Let us telLthe people 'Yes; the Government is ready; the Government is ready to break the. shackles of bondage which British imperialism had imposed. Let us have a little courage. I believe, this Government will have a little courage in that direction. I believe, democracy can bring more prosperity, democracy can bring more security, democracy can bring more freedom, democracy can bring more advancement. It is not by curtailing dempcracy that you can fight terrorism. It is only by nourishing democracy that you can activate the masses and fight terrorism. Therefore; Sir, from all these points of view..I plead with the Government to give its consent to the Bill which has been moved by my friend, Mr. CIopaTs&my.

श्री हयातुल्ला अंसारी (नाम-निर्देशित). वाइस-चेयरमैन साहब, मैंने अभी दो दोस्तों की तकरीरें सुनीं और बहुत गरजकर बोले, बहुत जोर से बोले । मैं गौर करता रहा, दलील क्या दे रहे हैं। इसमें शुमारी रेटारेक्स क्या हैं, अल्फाज़ क्या हैं, डेमोक्रेसी एंटीडेमोक्रेसी क्या हैं। सब कुछ आ गया था। ज्यादा जोर इस बात पर था कि अंग्रेजों के जमाने में यह होता रहा है अब नहीं होना चाहिए। जैसे अंग्रेजों के जमाने में कर्फ्यू लगता था अब नहीं लगना चाहिए, अंग्रेजों के जमाने में जो हुकूमत से लड़ता था मुकद्दमा चलाया जाता था अब नहीं चलाया जाना चाहिए। यह कैसे हो सकता है। अगर अंग्रेजों की सब बातें छोड़नी हैं तो आप अंग्रेजी क्यों बोलते हैं । लाउडस्पीकर छोड़िए, इसे क्यों यूज़ करते हैं आप। यमेज-कुर्सी छोड़िए, इसे क्यों यूज़ करते हैं आप डेमोक्रेसी जो सिस्टम है, इसे क्यों यूज़ करते हैं आप

डेमोक्रेटिक सिस्टम तो हमें चाहिए और इसको कायम रखने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा वह हम करेंगे । इस देश को बचाये रखने के लिये हमें कर्फ्यू भी लगाना पड़ेगा । गोल्डन टैम्पल में जो कुछ हो रहा है वह देश को बचाने के लिए हो रहा है । आपके हिसाब से अंग्रेजों के जमाने में कर्फ्यू लगता था तो वह गोल्डन टैम्पल में नहीं लगना चाहिए । जो मुखालिफत करते हैं वह नहीं जानते देश को कैसे बचाया जा सकता है । डेमोक्रेसी बचाने के लिए जो करना पड़ेगा वह करेंगे । बहुत बड़ी चीज है डेमोक्रेसी को बचाना । बड़ी-बड़ी मुसीबतें आती हैं उन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है । यह सरकार को देखने का काम है उसे क्या करना है क्या नहीं करना है । आज जरूरत है डेमोक्रेसी को बचाने की जबकि उस जमाने में जरूरत नहीं थी । हर वक्त जमाना बदलता चलता है और हुकूमत बदलती जाती है । आज हमारी मांग है कि खतों को न खोला जाये । मैं पूछता हूं क्यों न खोला जाये । आपको नहीं मालूम पंजाब के लिए उनकी क्या-क्या स्कीमें बन रही है । आपको नहीं मालूम किस तरह से वे खत लिखते हैं अपने बीवी और बच्चों के नाम से । उन

खतों में सारी मालूमात होती है। उसी कारण से लाखों आदमी मर रहे है। बेकसूर लोगो को मारा जा रहा है, बच्चे मारे जा रहे हैं, बूढ़े मारे जा रहे हैं। इनको बचाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर खत नहीं खोले जायेंगे तो कैसे पता चलेगा कि क्या साजिश चल रही है पंजाब को तोड़ने के लिए, देश को तोड़ने के लिए। आप सब की तकरीरें सुनी है। आपने यह तो कहा कि यह नहीं करना चाहिए लेकिन इसके लिए कोई दलील नहीं दी। यह कोई दलील नहीं है कि यह अंग्रेजो के जमाने में होता था इसलिए अब न हो अंग्रेजो के जमाने में क्या-क्या होता था आपको पता है। पर ऐसा नहीं है कि वह सब कुछ खत्म कर दें। डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, हुकूमत को बचाने के लिए यह सब करना पड़ेगा। आज आप कह रहे है कि खतों को न पढ़ा जाये और फिर कहेंगे सी०आई०डी० को खत्म कर दिया जाये, इन्फरमेशन सिस्टम को खत्म कर दिया जाये, यह सब कैसे हो सकता है। इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको पता है कि कोई बात हो जाती है इन्वेस्टीगेशन होता हैं। दस आदमी दिखाई देते हैं तो एक आदमी पकड़ा जाता हैं और 9 इनवेस्टीगेशन से छूट जाते हैं। हमें डेमोक्रेसी को बचाना है। इसको बचाने के लिए हमने खून बहाया, गिरफ्तारियां दी, मिट गये, पता नहीं क्या-क्या किया। हमने अपना सब कुछ खो दिया था इसके लिए। हमें मालूम होना चाहिए क्या हो रहा हैं, क्या साजिश हो रही है, उसको देखने की, पकड़ने की जरूरत है। इसलिए जो गोपालसामी जी विधेयक लाये हैं मैं उन के खिलाफ हूं। इतना ही कहना चाहता हूं।

SHRI MURASOLI MARAN: Mr. Vice-Chairman. Sir, I have first to congratulate my colleague, comrade and brother Gopalsamy for having created an opportunity for all of us to find out some of the draconian aspects existing in our law. Sir, this Bill, he-has brought in, is a-much needed otae. If you have to take pride in calling our country a_s a democratic one with full freedom and civil liberties, then we have to accept me amendments.

Sir, the ironical thing is, besides the principles inyolved in this Bill, in fact, we are concerned with the Posts and Telegraph. Department. If you ask me and the .hon. Minister should pardon me—-it is one of the worst departments, working in India. For this I do not "blame the hon. Minister. He has inherited the Augean's stable and to cleanse it is very difficut even ior the Minister himself. Today everybody wants to talk about anything and everything else and I want to add my own view about this department. After making a mention about this Department I will go into the merits of the. Bill. Sir, recently I have got my telephone disconnected. After a few monthg I get a bill for trunk call charges to the extent of several hun-dereds of rupees. I am talking about the functioning of your Department. Because the hon. Minister is here, I have this opportunity to put it to him. Then I wrote to the General Manager, Madras Telephones: "Look, I have got niy telephone disconnected, how could I incur trunk call charge? There must be something wrong with your computer, or somebody must be misusing the system. So you order an enquiry, not for my benefit, but for the benefit of your clients". I wrote this letter about 30 days back and I am still to get a reply. I am not talking about myself. This is a common grievance.

THE MINISTER OF ENERGY AND THE MINISTER OF COM-MTNICATIONS (SHRI VASANT SATHE): You write to me.

SHRI MURASOLI MARAN: You should pull up that General Manager. I rlo not know whether it is due to his i ignorance or incompetence or arrogance. Is it the way to behave with clients?- There is something wrong. This is a crucial matter.

SHRI VASANT SATHE; Sir, because he has brought in a matter ore

[Shri Vasant Sathe] which he is so agitated, dealing with my Department, I would say -that you have written something to the General Manager, for 30 days there is no response, I would request the hon. Member to write to me. I will look into the matter and see.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Even after six months you don't get a reply. I wrote six months back.

SHRI ALADI ARUNA *alias* V. ARUNACHALAM (Tamil Nadu): That General Manager should be puljed up.

SHRI VASANT SATHE; Hoti. Members, this is a different Bill. I know they may be agitated on matters dealing with the Department of Telecommunication and other departments. Whatever grievances they have, irrespective of who the Member is, from this side or that side, you write to me and I assure you that I will look into it with all sincerity and earnestness and see that justice is done.

SHRI MURASOLI MARAN: I thank the hon. Minister. I am not finding fault with the Miinister. That *is* a Minister. That is a legacy he has inherited. Sir, with such state • of affairs, we are giving them a lot of -draconian powers. Look at the original Acts. The original Tele,graph Act was passed in 1885 when the Congress Party was founded. And the other Bill, the Indian Post Office Act, was passed in the year 1898, i.e. 90 years back. So we want to lamend an Act passed 90 years back and another Act passed 103 years back. Our learned jurist friend, Mr.. Jethmalani, has pointed out that we want to take the country towards the 21st century, but we are lagging behind a hundred years. Here is a reflection Tiow we are lagging behind 103.years in regard to civil liberties, in regard to fundamental rights, in regard to Tight to privacy and other . scared rights. In fact, it ig against the International Convenant on Civil and Political Rights. In Article 17; the International Covenant says—and I quote:___

> "No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation. Every one bas the right to protection of the against such interference or attacks."

India ratified this Covenant in 1979. But in spite of it we have not amended the particular Act. That is why my colleague, my brother, Mr. Gopalsamy, has brought in this BUT just to remind the Government how they ar£» not implementing Article 17 of th Covenant to which India is a party.

You look at the draconian powers. Our telegrams can be intercepted, our messages can be intercepted, ouf latters can be opened our letters can be read. And who can-intercept these? Here is the. point. *Any* junior officer, any police officer. -He need, not be a mati of rank using his mind. Nothing of the kind. Any junior officer can do this harm, can invade the fundamental right of any citizer in India.

SHRI RAOOF VALIULAH (Gujarat): Even in the old Act this kind power is ther already.

SHRI MURASOLI MARAN: That is why I am saying it.

SHRI RAOOF VALIULLAH: You have been going with this ordeal for the last 100 years.

j3HRl MURASOLI MARAN: That is why Mr. Gopalsamy brought this Bill to amend the Act. He rightly brought this... (Interruptions)[1]...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI B. SATYANARAYAN REDDY): Mr. Valiullah, if you want to speak. I will i give you time. Please don't interrupt • him. .. . -

SHRI MURASOLI MARAN: I have to thank my honourable friend belonging to the ruling party for saying that it is therefore the last 100 years. This Act was passed when the Congress Party was founded.. It has been there for the last 108 years, right from. 1885. That is why Mr. Gopalsamy (brought this Bill to this House to amend these provisions which are the legacy of the colonial past. We are not colonial masters. We should not act like that. Mr. Jethmalani waxed eloquent on the glory of the Congress Party. - The Congress Party should not De a party to have this- on our Statute Book. I would like to point out that at that time, in the year 1898, that is, 90 years ago when this Act was on the anvil, the Bill was sent to a. Select Committee. At that time, two great patriots belonging, I think, to the Congress Party, by name Mr. Anandacharhj and Mr. Bishamber Nath, appended a note of dissent. The Hon. member rightly said that it is there for so many years. Even at that time, your Party m«n-bers, two great patriots, Mr. Ananda-charlu and Mir. Bishamber Nath, appended a note of disssent. Nowadays notes of dissent have become controversial issues but even during the British days the Congress members, great patriots, had the freedom to ap- „. _pend notes of dissent. In that sote of dissent they rightly criticized these Draconian provisions as bad policy. It is a very long note and I do not want to go into it. ,

My point is that the power of inter-ception,'the power of opening letters, can be exercised by any officer, no matter how junior. That is the most pitiable part of the situation. No intimation need be given or reasons assigned to persons whose mail is intercepted. There is no provision for redressal from any court or tribunal. That is the wost tragedy. I will tell you of my experience. We are all affected by these provisions. Sir, I think you too may be' one who could be effected because you also belong to an opposition party. As a journalist I am running a news paper also. One day I was expecting an important letter. I sent my officer to the post office. The post master said to him, "Your mail will be late because after the police officer sees, then only, you will get it." He said th*t every day m$_y$ letters go to'the Com-missioner of Police in Madras city or the DIG (CID). After they open and persue them, then only it is given back. Then I wrote a letter to the Post Master General that your poet maste$_r$ said like this to my officer and converted to know the truth. The post master is a clever man because he is an .officer of the Congress Raj. So he did not want to get into trouble. He wrote to me I am sorry, we are not sending those letters to any policemen." I know it is a falsehood. But ^{a}t that time the post master said: "What else they will say, Sir? They have to protect themselves, I have to protect myself. Sir, don't land me in trouble." That was his request. So I did not pursue the matter further.

The other day Mr. Gopalsamy raised a rumpus in this House when he caught hold of a letter from the highest police officer to the local officer asking him to intercept all letters of Mr. V. Gopalsamy, M.P., open them, read them and send a note. He caught them, red handed. He raised it in this House. This is what is happening. This is a great tragedy.

We call ourselves a great democratic country, but what is happening is all undemocratic. This is one of the worst features which is going on day in and day out. Mr. Kalpnath Rai was talking about the Janata rule. Things are changing fast. No party can be a ruling party for ever. The same glorious Congress Party got into the opposition for two and- a half years. Even the hon. Minister, Mr. Vasant Sathe, was in the opposition benches for two and a half years. At that time his letters were being read by the Janata people. Who knows? I do not deny it.

[Shri Murasoli Maran] But is it necessary? Should it continue on the Statute Book?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Madhya Pradesh): The power was 'there, but it was not being misused. SHRI MURASOLI MARAN: I did not see the former External Affairs Minister sitting here, but since he was not in charge of Home Aflairs, he might not be knowing it. The power was there, and they would have used it,

SHRI VASANT SATHE: You know his own letters even at that time might have been intercepted.

SHRI RAOOF VALIULLAH: That was already a matter of discussion in the House that his love letters were feeing intercepted.

SHRI MURASOLI MARAN: If there is a power, anybody will use it. My point is, do away with that power if it is undemocratic. If it Encroaches upon our Fundadmental Eights, take it away from the Statute Book. I think the Miinister will not evade the issue. For the benefit of the Minister I will say that he will say later. When this question was asked, his glorious predecessor, late lamented C. M. Stephen, the then Union Communications Minister said and I quote:

> "Under the law we are required to provide the telephone lines to the intelligence ageneies for listening or' to let them open the mail. We are not involved in it, in the sense that we do not do it directly. We just connect the line". We means the postal department, I think.. "We connect the line to the Intelligence or to the State police. It is not for us to question a properly made Government request or order."

The same reply the present Minister may also give. After all he is not concerned. He is not looking into all the thousands of telephones and letters. Because I happen to be a Member of Parliament, I can put -a question and he will answer it but not *to* crores of people in the country. But what matters is that our rights are being eroded. These provisions in the Statute Book should be deleted. Is it not high time to do it? I can't understand the argument that we are surrounded by enemies and so, we need this power. You use that power if you want to trace a terrorist, but why are you using it against Mr. Gopalsamy or myself? Are we terrorists? If you do it in Punjab I can appreciate it. If you detect a crime, I can salute you. But no, you are using it mainly against your political opponents to know what is going on in this party, on that party. This is going on for a long time. Almost all the CIDs in all the States are doing it. I know how it works. They are given a. tape-recorder and certain number. ^ They get my number from the telephone system. If my number rings, a parallel telephone in the police department also rings. So, the tape-recorder starts working. This is how they, record it and then they analyse it. I do not know. This is the kind of meanness they are adopting in the name of detecting the crimes. But look at the reasons for indulging in this sin. Reasons are very lofty, for occurrence of public emergency, in the interest of public safety. You know public safety has become such a big' umbrella to tape all the telephones in India. Simply* one sentence: "in the interest of public safety." Sir, what I would suggest is that if you want to arrest a person for his crime, you go to the Magistrate and get a warrant. I would 'plead with the Minister, if you want to do it, you should get at least a warrant from the Magistrate concerned. Sir, before a place can be searched a Magistrate's warrant is mandatory. Why cannot a judicial order be an indispensable prerequisite for the interception of mail or tapping of a telephone? Sir, this crucial question was raised by my colleague, Mr. Gopalsamy and other freedom-loving people. This kind of thing came up before the British Parliament also. Recently, they wanted a change in their Act and the House

of Commons appointed a Select Committee to go into it. At that time, the Home Minister was Mr. William Whitelaw. He apopinted a Committee which was called as Lord Diplo-ek's Committee. That Committee gave its report in 1981. There also they made some kind of compromise. The Committee laid down certain conditions for tapping the telephone. (1) The public interest which would serve by obtaining information must be of sufficient. importance It should not be very ordinary. It should be of sufficient importance. *(2)* Then, the interception applied for offers a reasonable prospect of providing the information sought. You should not read a love letter simply for pleasure or for just like reading a blue book. KYou should not derive pleasure from reading somebody's letter. (3) And, the other method of obtaining it has been tried and failed and found not feasible.- Here is a point, if you have tried other methods and could not get any information and if it is inevitable that you should tap the telephone or open the letter, then, who should open? Who should resort to that practice? Who? Not an ordinary constable, not an ordinary inspector. Sir, the Diplock's Committee report suggested that these conditions should be satisfied and ^-should be satisfactory to the Home Secretary or Secretary of State for Scotland. So Home Secretary means Home Minister. Tomorrow if something wrong happens he. can be grilled in the House of Commons. That is why the power of encroaching upon the basic rights, fundamental rightg of another human-being has bten given, not to the constable, not to the postman, not to the ordinary inspector but to no less a person than the Home Minister himself in TT. K. who is responsible to the Parliament. That wag suggested , and i do not' know what they have done later. We know that how the Postal Department and other Departments have been misused for partisan purposes.

Sir, there should be some line oi . distinction Or difference between the party and the Government. We are seeing every day that that line is eroded. It is vanishing. We have seen in the recent AICC meeting at Madras all the Congress, VIPs were holding walkie-talkie wireless sets including some hon. Members of this House and the other House.

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu); Jayanthi Natarajan.

SHRI MURASOLI MARAN: Especially the chief among them was Mr, P. Chidambaram, our Minister *ot* State for Home Affairs. They were flaunting their walkie-talkie sets, wireless sets. Especially we could see Mr. Chidambaram flaunting it as if he was the principal policeman in India. You know, Sir, that this was not only a wireles system but it was connected with the wireless system of Madras City, with the Inspector-General of Police and also with the Chief Secretary of the Government of Tamil Nadu. Sir, who gave them, the power, authority to hold those things? Is' it justifiable? Will " you give the same facility to a DMK man or to a DMK party conference? May I know from the Communications Minister whether he would extend the same facility to other Opposition parties for their conferences and linking it with the general intelligence system of the entire 4.00 P.M. State of Tamil Nadu? The law enforcing police were at the mercy of a few wireless flaunting hon. Members of Congress. In fact, there was some* kind of a fight also among the TNCC people, set were supposed to be high caste Congress people and those who were not having it were condemned as out-caste. So there was a tussle going on and everyone wanted to have one wireless set. Naturally, poor Moopanar could not solve the problem though he ordered as many walkie-talkies as possible. He got it from Burma Bazar where smuggled walkie-

[Shri Murasoli Maran] talkie are available. He distributed it to each and everyone and thereby abolished the caste system inside the Congress, that too in Madras for the time being. I am seriously telling you. Probably, you will be the culprit who authorised them to have walkie-talkies. This is the situation we are facing today and I wholeheartedly support the Bill of Mr. Gopalsamy. Somehow or the other, "the Government!, did not show any interest at all in taking up this Bill. Actually, he had to make a tiger-Kke ambush here to "get this Bill in. Sir, at the same line, we cannot stop with this. Already, Mr. Jethmalani haa reminded us of the danger to civil liberties but it does not stop with this. Normally, all private Members' Bills which we discuss are withdrawn. But I think, it should bear some fruit, otherwise, we will lose interest in the Fridays. Therefore, I would requeet the hon. Minister to give serious thought to it because he ig also a lover of liberties, I know it. He is not responsible for this Bill, It happened 100 years ago. Therefore, I would like the hon. Minister to raise up to the occassion, cutting across all party lines, think about this thing and give some serious thought to this proposition.

Sir, another danger is there. I have to consult Mr. Jethmalani because our phones are tapped. The Opposition Party Members' phones are tapped. Our letters are opened. The pitiable part of it is that most of the letters and articles sent by post need not be returned. lt can be destroyed br it can be sold by the postman or Whoever he is. The new danger comes from certain electronic gadgets. I know crores of rupees have toeen spent by the CBI and law just to have these gadgets 'to tap our conversation, what is going on in his chamber or in my chamber. I do not know under what heading, it will fall. During emergency, I know crores of rupees worth of gadgets were imported urgently. They were airlifted for this purpose only by the police, by the IB and by the RAW. This is'the worst thing. It appears that Mr. Kalpnath Rai was criticising America. They get all the things from America and Japan. When it suits them, they love America. For super computers, they love America. So far as the getting of these gadgets is concerned, they love America. This is net good. This is a land of Gandhiji. Gandhiji would have never dreamt of such a thing. Pandit Nehru would not have reported to such acts. If you say that Mr. Riajiv Gandhi ig of that heritage of Panditji. I would like to tell you that Panditji would have never done this kind of atrocities. Therefore. I would request for hon. Minister . to give serious thought to it, and not brush it aside as a mere Fridsy pastime. Thank you.

SHRI ALADI ARUNA alias V. ARUNACHALAM: Mr. Vice-Chairman, Sir, in' support of this Bill, I would like to say a few words. Though I have not done any homework to substantiate my argument, I • honestly feel that I must record my cooperation for this Bili because it is a greatest service being rendered by my hon. friend, Mr." Gopalsamy. The object of the Bill is deletion of two sections, section 5 of the Indian Telegraph Act and section 26 of the Indian Post Office Act, 1898. Sir, these Acts were passed before 90 years. The question is whether these Acts are now fruitful, necessary or warranted for our independent country.

The first point I would like to say is that privacy is the absolute right of the individual in a democratic country. It does not come under any restriction or limitation. It is free from all impediments and obstacles ajid limitations. No power on earth can question the privacy of a man. So, I would" like to know, when we claim that India is the biggest demo-' cracy in the world whether it is fair on our part to allow these sections to be effective. We have to consider

first whether these provisions are democratic, acceptable and are in accordance with the principles of democracy. So far, so many Members have participated in this discussion. They have clearly stated how these provisions are undemocratic, how the$_v$ trangress into the jurisdiction of privacy of the individual and how they are making inroads into our pro-vate life. These provisiong are against the fundamental right of privacy of the individual. It is the responsibility of the Government to delete or modify Of eliminate these provisions. Our hon. jurist, Mr. Jethmalani^ gave good suggestions. He is not for total abolition of interception. He is on reasonable grounds. The Government may be in need of this power of interception in detecting cases against anti-social elements, against terrorists and against traitors. In those circumstances, the Government must seek the* permission of the judiciary and pursue the matter. So, our request for deletion of these provisions is a reasonable request from the people who have faith in democracy. We are giving wise suggestions for the consideration of the Government. We appeal to the Minister to take them. When a provision is undemocratic, it is the res-_ponsibility of the Government to rectify it.

When the question whether these provisions have been misused or not is answered in the affirmative, another question comes up automatically. For what purpose have they been misused? Only for political purpose*, not for any other purpose. It is immaterial whether the misuse was by the Anna DMK Government or DMK Government or Janata Government or Congress Government. The misuse was by the party in power for political purposes. When we are aware of this, when we are jn agreement over this misuse in the Past what is the hesitation on our part to delete this provision? When the fact is that a provision is. misused, if is ont rssDonirfbilitv to come forward to dtleta ft.

The next and the most important) point is, whether the Government can unearth crimes, offences and conspi rabies without these provisions.

[The Vice-Chairman (Shri fii. Hanu manthappa) in the Chair].

Sir, these provisions might have been useful serving, this purpose during the English period beqause in those days communication facilities were far iess. The Government was not in a position to detect crimes as we are doing now. Now, we are having so many sophisticated means through which we can easily detect crimes. Now com* munications facilities are technologically highly advanced. So reliance on the English law now is uuneees-rsary^ particularly when it affectg privacy. So, it is unnecessary to be armed with this power. As far as tha Government is concerned, it is not there for any democratic, adknow-i Jedged, principle of a republican foru* Of -government. From the beginning we have been saying this. After .in* dependence we know how they am sharpening the laws, criminal laws which were opposed by the Congres* Party tooth and nailduring the Bri-* tish period. But those laws are belnj (Sharpened very much now. DER* Criminal Law; Amendment Act, MISA, etc. New criminal laws art being introduced now. What doe* all this reflect? It reflects our imperialist character, it reflects our colonial behaviour. Because it hag faith ln imperialist character, this Govern-t ment is hesitant to eliminate it. II the Government is so sincere to prove its democratic character, it must accept the Bill of my friend, Gopalsamy With these worlds I conclude.

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा): श्री वी० सत्यनारायण रेड्डी ।

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, आज आपका जन्म दिन है मैं तो आपको बधाई देना चाहता हूं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : थैंक यू।

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : हम भी बधाई देते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : थैंक यू।

श्री वी० सत्यनारायण रेड्डी (आंध्र प्रदेश) उपसभाध्यक्ष जी मैं भी आपको पहले बधाई दूंगा। यह जो बिल तार और डाक के बारे में मेरे मित्र श्री गोपालसामी ने लाया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और इस संबंध में मैं वक्ताओं को सुनता रहा उस तरफ के और इस तरफ के। इस बिल के संबंध में कई बातें कही गयी चाहे बिल से संबंध हो या न हो। उनको सुनने के बाद मेरे दिल में भी कुछ शंकायें पैदा हुई, मैं समझता हूं कि उसे देश के सामने, इस सदन के सामने उसको साफ करना जरूरी हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस बिल के संबंध में बोलने से पहले मैं कुछ चीजें कहना चाहता हूं। इस देश के अंदर जो सभी पार्टी हैं सभी व्यक्ति हैं वे कोई देशद्रोही नहीं हैं हम सब देशभक्त ही हैं। हम सब मैम्बर जो इस सदन के अंदर हैं या सब पार्टियां जिनको इस सदन के अन्दर सदस्य चुनकर भेजा है सभी पार्टियां और सभी सदस्य देशभक्त हैं देशद्रोही नहीं हैं, गद्दार नहीं हैं। मैं इस चीज को साफ कर देना चाहता हूं कि किसी माननीय सदस्य को या किसी राजनैतिक पार्टी ने जिन सदस्यों को यहां भेजा है, उनको गद्दार कहना या देशद्रोही कहना यह कोई अच्छी बात नहीं है यह शोभा नहीं देता। यह न सिर्फ इस सदन का अपमान है सदन के सदस्यों का अपमान है बल्कि पूरे देश की जनता का अपमान है किसी सदस्य को देश द्रोही या गद्दार कहना ऐसा मैं समझता हूं।

दूसरी चीज यह है कि आज देश की जो परिस्थिति है वह हम सभी जानते हैं और सभी यह चाहते हैं कि देश के अन्दर शांति बनी रहे, देश शक्तिशाली बने, देश ताकतवर बने। हम प्रजातंत्र में हैं आप आज सत्ता में हैं जनता ने आपको चुनकर भेजा है। हम जनता की कद्र करते हैं आपको गद्दी पर बैठने का हक है। प्रजातंत्र में आप कुछ दिन रहेंगे बाद में दूसरी पार्टी आ सकती है। लेकिन कोई पार्टी सत्ता में रहे जिसको जनता ने कुर्सी पर बैठा दिया, उसको मनमानी करने का अधिकार नहीं हैं। किसी पार्टी को, किसी सरकार को यह अधिकार नहीं है बल्कि सारे देश की जनता और जो उस पार्टी के लक्ष्य हैं, सिद्धांत हैं, उसको नजर में रखते हुए उसे काम करना है। देश की खुशहाली के लिए, जनता की खुशहाली के लिए ही सरकार को काम करना चाहिए, चाहे वह राज्य की सरकार हो या केन्द्र की सरकार हो या किसी पार्टी की सरकार क्यों न हो, अगर कोई पार्टी विरोध में है तो क्या उसने कोई गुनाह किया है। कल आप विरोधी पार्टी बन सकते हैं। जनता किसी पार्टी को सत्ता में रखती है, किसी पार्टी को विरोध में रखती है तो यह कहना कि सारी विरोधी पार्टियां कांसपिरेसी कर रही हैं, गद्दारी कर रही हैं या देश की दुश्मन हैं, यह कोई ठीक बात नहीं है। हां, आप अपनी पार्टी के नेता की तारीफ कीजिए, उनको भला कहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जैसे अभी कल्पनाथ राय जी ने श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में कहा कि ये बड़ी नेता थी। यह उनको कहने का अधिकार है। मौजूदा प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी उनकी पार्टी के हैं, उनके बारे में कहने का उन्हें अधिकार है। लेकिन दूसरों को गद्दार कहना या देशद्रोही कहना उचित नहीं हैं। मुझे भी अधिकार है अपने नेता की तारीफ करने का। श्री एन० टी० रामाराव बहुत बड़े आदमी हैं, मुख्य मंत्री हैं। वे सारे आंध्र प्रदेश की जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। वे गरीबी और बेरोजगारी जैसी चीजों को मिटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनके बारे में कहने का मेरा अधिकार हैं। लेकिन मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं आपको गद्दार कहूं, कल्पनाथ जी को या किसी

दूसरे नेता को कहूं। हां जहां जनता के लिए सरकार की नीतियां खराब होंगी, मैं कहूंगा, कि यह नीति खराब है इसको बदलो। तो आज की जो परिस्थिति है हालात हैं, इनमें सरकार को कुछ नए कानून बनाने पड़ते हैं, कुछ कानूनों में तब्दीली लानी पड़ती हैं। अंग्रेजों ने जो कानून बनाए, उनमें हम कई तब्दीलियां लाए हैं। चाहे कांग्रेस की सरकार हो या जनता पार्टी की सरकार हो, उसने भी अपने दो-ढाई साल में कुछ तब्दीलियां लाई हैं, कांस्टीट्यूशन में भी एमेंडमेंट लाए हैं। जो कानून जनता के चुने हुए लोगों ने बनाया उस कांस्टीट्यूशन को भी हमने कई बार बदला। तो कानून को बदलना हमारा हक है, पार्लियामेंट का हक है। हम समझते हैं कि वह कानून जोकि जनता के हित में नहीं है, यदि उसको बदलना है तो हमारी जो विचारधारा है वह हम देश के सामने, सब पार्टियों के सामने रखेंगे और बदलने के लिए प्रयत्न करेंगे।

तो श्री गोपालसामी जी जो बिल लाए हैं इसके जरिए वह यह चाहते हैं कि पोस्टल और तार के संबंध में जो कानून है वह अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया कानून है उसके अंदर वह संशोधन लाना चाहते हैं और इस बारे में उन्होंने अपनी बात साफ तौर से कही। कई सदस्यों ने अपनी बात रखी और यहां तक कि कानून के सबसे बड़े विद्वान जो हमारी खुशकिसमती से इस सदन के सदस्य भी हैं-- श्री जेठमलानी साहब उन्होंने भी साफ ढंग से अपनी बात इस सदन के सामने रखी। श्री गोपालसामी संशोधन चाहते हैं वह बहुत सीधा साधा है। वे चाहते हैं कि जो इंडियन टेलीग्राफ ऐक्ट का सेक्शन 5 है उसको ओमिट किया जाए। इसके साथ ही जो पोस्ट आफिस ऐक्ट, 1908 है उसमें भी वे चाहते हैं कि सेक्शन 26 को ओमिट किया जाये। ये दोनों ऐक्ट क्या हैं इनको देखिये, इनको जरा गौर से पढ़िये। ये दोनों कानून अंग्रेजों के जमाने में बनाये गये थे। मैं यह नहीं कहता कि जितने भी कानून अंग्रेजों ने बनाए हैं उनको आप खत्म कर दीजिये। वैसे उनको खत्म करना चाहिए क्योंकि अंग्रेजों ने अप मतलब के लिए वे कानून बनाए। देश उनका गुलाम रहा, देश के ऊपर उनकी हुकमत थी। उनका यह नजरिया था कि किसी भी हालत में इस देश को अपनी मुट्ठी में रखा जाए। इस पर हुकूमत करें और अपनी सत्ता को न खोये और आम जनता को ज्यादा अधिकार न दिये जायें। उनके अधिकार छीने जायें। उनको दबाया जाये। उनके जो भी टेलीग्राम्स या पत्र या पार्सल होते थे वे हर चीज को देखना चाहते थे ताकि उनकी सरकार के विरुद्ध कोई ऐसी चीज न हो जिनसे सरकार कमजोर हो। हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। लोगों का यह रुझान था कि आजादी मिले, लोग गुलामी से छुटकारा पायें। इसको वे दबाना चाहते थे। उन्होंने अपने मतलब के लिए हर कानून को बनाया जिनमें से यह कानून भी एक हैं। ये टेलीग्राफ ऐक्ट और पोस्टल ऐक्ट जो हैं इनमें क्या खराबी है, यह हमको देखना चाहिए कि इस कानून से कोई फायदा है या नुकसान है। फायदा है तो क्या फायदा है और नुकसान है तो क्या है। अंग्रेजों का नजरिया दूसरा था, हमारा नजरिया दूसरा होना चाहिए। हम जनता के चुने हुए लोग है। जो केन्द्रीय सरकार है या राज्य सरकार है उनको हिन्दुस्तान की जनता चुनती है और बनाती है। अंग्रेज सरकार को जनता नहीं चुनती थी, वे तो अपनी कूटनीति से, अपने बल से, अपनी ताकत से हिन्दुस्तान पर हुकूमत जमाये रखना चाहते थे। इसीलिए जो चीज अंग्रेजों के लिए या साम्राज्यवादियों के लिए फायदेमंद हो सकती थी, वही हमारे लिए भी हो सकती है, इस नुक्तेनजर से हम सोचें तो यह गलत बात है।

अभी लोग कह रहे थे कि आज देश में हर तरफ अशान्ति बनी हुई है हत्यायें हो रही हैं, पंजाब की समस्या है और पाकिस्तान हिन्दुस्तान की सरहद पर अड्डे बनाकर टैरोरिस्टों को ट्रेनिंग दे रहा है ताकि हिन्दुस्तान को कमजोर बनाया जा सके और हिन्दुस्तान में को

[श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी]

न कोई गड़बड़ होती रहे। इन चीजों को हमें रोकना है और उसके लिए अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों को हटाना जरूरी है। हम यह नहीं चाहते कि हिन्दुस्तान कमजोर हो। हम हिन्दुस्तान की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके चुने हुये नुमायन्दे हैं, उनके प्रतिनिधि हैं कोई यह नहीं चाहता कि देश में अशान्ति बनी रहे, देश में हत्याएं हों। हम यह चाहते हैं, हम तो यह मांग कर रहे हैं सरकार से कि देश में शान्ति पैदा करने के हालात पैदा करें। जो लोगों की समस्याएं हैं, जो राज्यों की समस्याएं हैं उनको हल करो, समझो। जो नीतियां खराब हैं, उनको बदलो। हम भी चाहते हैं कि ये जो रोज निहत्थे लोग मारे जा रहे हैं, बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, वह खतम होना चाहिए। खाली तकरीरों से या बातों से यह समस्या हल होने वाली नहीं है। इसके लिए सरकार को कोई न कोई मजबूत कदम उठाना जरूरी है, नितियों में तबदीली लाना जरूरी है, नीतियों में परिवर्तन होना जरूरी है, अगर सरकार की नीति खराब है, अगर वह ईमानदारी से और चित्तशुद्धी से हर समस्या को हल करने का कोई रास्ता ढूंढती है ही नहीं तो समस्या का हल कैसे होगा। हमारे दोस्तों ने कई बातें कहीं तो उनका कुछ खुलासा करना जरूरी है क्योंकि यहां सभी बातें कही गई हैं। तो मैं चाहूंगा कि खाली ये कानून बनाने से ही कोई मसला हल होता है क्या, इसके बारे में सोचिए।

आपने वायदा किया श्री लौंगोवाल से। वायदे का अमल हुआ है या नही। वह मांग कर रहे हैं कि जो वायदा हुआ है उसपर अमल करो। जो 1984 में हरिमन्दिर में धावा हुआ था, जो एक्शन हुआ था उसके बाद सभी लोग हथियार रखने वाले जितने थे निकाल दिए गए थे, यह हथियार रखने वालों से साफ हो गया था। फिर उसके बाद यह वायदा हुआ लोंगोवाल जी से। फिर कैसे हथियार हरमन्दिर साहब में पहुंच गए, फिर लोग कैसे अन्दर घुस गए हथियारों के साथ। फिर वही परिस्थिति पैदा हुई है आज जो 1984 में थी। उसे पैदा होने का मौका कैसे मिला। कोई कानून रोकता नहीं था उनको अंदर जाने से। यह कानून उस वक्त भी था जो कानून आज है। जिसके अंदर आज गोपालसामी जी परिवर्तन लाना चाहते हैं। यह कानून अमल में था। आपको रोका नहीं किसी ने फिर भी आप नादान हो गए, फिर भी आप नाकामियाब हो गए, कामयाब नहीं रहे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सिर्फ कानून होने से बचाया जा सकता है यह कहना भी गलत है क्योंकि हालात के लिहाज से आपको अमल करना चाहिए। ये जो मौजूदा कानून है, तो लोगों का संशय यही है कि इसका गलत यूज़ किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। आपने पंजाब के लिए इस्तेमाल किया या नहीं यह मुझे नहीं मालूम मगर गोपालसामी के खिलाफ तो इस्तेमाल हुआ है। इसी सदन में गोपालसामी ने बयान दिया था कि उस वक्त उनके जितने भी पत्र हैं, उनके पार्सल वगैरह हैं सबको खोल के देखने का आदेश मिला है उसके बाद ही उन्हें देना है उसके पहले उन्हें देने की जरूरत नहीं। यह तो गोपाल समी इस सदन के माननीय सदस्य हैं। मालूम नहीं कि यह देश तो बहुत बड़ा देश है, 80 करोड़ लोग हैं, कितने पत्र जाते है, कितने पार्सल आते हैं लोगों के, कहां-कहां जाते हैं। कितने लोगों के पत्र देखे जाते हैं, जिनको खोला जाता है और इन्टरसेप्ट किया जाता है, मालूम नहीं। क्योंकि वह इस सदन के सदस्य हैं इसलिए मालूम पड़ा, नहीं तो मालूम नहीं पड़ता। हजारों होते होंगे। मैं एक चीज आपकी नजर में लाना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। मैं 14 साल की उम्र में विद्यार्थी था जब महात्मा गांधी और देश के दूसरे नेताओं को गिरफ्तार किया गया अंग्रेजी राज में। हम कुछ जानते नहीं थे। इतना मालूम था गांधी जी को गिरफ्तार किया गया है। हम को किसी ने नहीं बताया कि हड़ताल करो या इसके खिलाफ कोई आंदोलन करना चाहिए। दिल में कुछ ऐसा पैदा हुआ

कि इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आवाज उठायी। जितने विद्यार्थी थे बाहर निकल आये। आंदोलन चलाया, हम जेल में गये। विद्यार्थी जीवन में ही हम बाहर आ गये थे। हम को मालूम नहीं था क्या कानून है और क्या कर सकते हैं। चर्चा करने से पता चला इस प्रकार का एक कानून है। ऐसे ही कानून को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। हमारे जो भी बंधु, मित्र थे हम को पत्र लिखा करते थे या हम उनको पत्र लिखा करते थे वे पत्र न हम को मिले और न हमारे उनको मिले। जब हम छूट कर बाहर आये और पूछा कि जो हमने पत्र लिखे थे उसके जवाब हम को नहीं मिले कहने लगे हम को आपके पत्र नहीं मिले। हमने कहा हमें भी तुम्हारे पत्र नहीं मिले। इसका मतलब यह है कि इस कानून का उस वक्त भी इस्तेमाल किया गया था। हम को इन चीजों को देखना है। अंग्रेज हो या निजाम की सरकार हो, है तो सब एक ही। वे अपने फायदे के लिए इस कानून का इस्तेमाल करते थे। हो सकता है आप अच्छे आदमी हो, इसका इस्तेमाल नहीं करते होंगे। आपकी जगह पर कोई दूसरा नेता आ जाये और वह खराब आदमी हो तो वह अपनी सत्ता को हर तरीके से छोड़ना नहीं चाहेगा, उसको कायम रखना चाहेगा और इसलिए वह इसका इस्तेमाल करेगा। लोगों की जो स्वतन्त्रता है, जो रहस्यमय चीजें हैं आपस की, फेमिली की, सगे-सम्बन्धियों की इसके जरिये उन सब को देखा जा सकता है। हम चाहते हैं यह चीज खत्म होनी चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि मंत्री जी इससे सहमत नहीं हैं। सहमत जरूर है। हो सकता है उन की कुछ मजबूरियां हों। क्या मजबूरियां है वह स्वयं जानते हैं। गोपालसामी जी ने इस बिल के जरिये दो चीजें कही हैं कि एक तो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, 1985 और इंडियन पोस्ट आफिस एक्ट, 1898 को ओमिट किया जाये। जैसा मैंने पहले कहा था कि ये दोनों अंग्रेजों के जमाने की हैं। वह सैक्शन क्या कहता है मैं उस को पढ़ देता हूं। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, 1985 के सेक्शन 5 में कहा गया है

On the occurrence of any public emergency or in the interests oi public safety, the Central Government or a State Government or any officer specially authorised in this behalf, by the Central Government or a State may, if satisfied that it *is* necessary or expedient to do so take temporary possession of any telegraph established, maintained or worked by any pereon licensed under thig Act.

अंग्रेजों ने सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी आफ इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया है। उनके हिसाब से हिन्दुस्तान न सोवरेन था और न इंडिपेंडेंट था और इंटेग्रेटेड भी नहीं था। उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया।

____in the interests of the Sovereignty and integrity of India, the security of the State, friendly relations with foreign States or public order Or for preventing incitement to the commission of all offence, for reasons *to b*e recorded in writing, by-order, direct that any message or . class of messages to or from any person or class of persons, or relating *to* any particular subject, brought fop transmission by or transmitted or received by any telegraph, shall not foe transmitted, or shall be intercepted or detained, or shall be disclosed to the Government making the order or an officer thereof mentioned in the order."

यह बात अंग्रेजों द्वारा बनाये गये टेलीग्राफ एक्ट के तहत है। यह काम अंग्रेजों ने अपने को सत्ता में बनाये रखने के लिये किया। इसलिए इसको अब भी बनाये रखा जाय, इसमें कोई अकलमंदी नहीं है। इसको आपको बदलना ही होगा। जो जनता की आजादी है, उस पर इस कानून से चोट पहुंचती है। लोगों के जो पारिवारिक संबंध होते है, जो उनकी आपस में मित्रता होती है, पत्रों के जरिए उनमें जो बातचीत होती है, इस कानून से उसको पढ़ने का अधिकार, उन पत्रों को खोलने का अधिकार, सरकार को मिल जाता है। जैसे हमारे मित्रों ने कहा कि अगर कोई ऐसा आदमी सत्ता में आ जाय जो किसी तरह भी सत्ता में रहना चाहता है

[श्री वी० सत्यनारायण रेड्डी]

विरोधी शक्तियों को खत्म करना चाहता है, विरोधी दलों को खत्म करना चाहता है, वह इस कानून का इस्तेमाल कर सकता है। उनके खिलाफ, उनके नेताओं के खिलाफ, कर सकता है। यह बड़ा खतरनाक कानून है। इसको बदलना ही चाहिए। श्री गोपालसामी ने इसको बदलने की जो बात कही है वह बिल्कुल साफ है। यह कानून अंग्रेजों के सत्ता के लिए था, हमारे लिए यह नहीं है। जनता की चुनी हुई सरकार के लिए इस कानून को बनाये रखना शोभा नहीं देता है। पोस्टल आर्टिकल में यही कहा गया है। मैं इसको पूरा नहीं पढ़ूंगा। इसमें कहा गया है —

"On the occurrence of any public emergency, or in the interest of the public safety or tranquillity, the Central Government, or a State Government, or any officer specially authorised in this behalf by the Central or the State Government, may, by order in writing, direct that any postal article or class or description of postal articles in course of transmission by post shall be intercepted or detained, or shall be disposed of in such manner as the authority issuing the order mav direct."

"If any doubt arises as to the existence of a public emergency, or as to whether any act done under sub-section (1) wag in the interest of the public safety or tranquillity, a certificate of the Central . Government or, as the case may be of the State Government shall be conclusive, proof on the point."

इसमें आप देखिये, जैसा कि श्री जेठमलानी जी ने कहा है कि सरकार को कोई अख्तियार नहीं होने चाहिए। अगर कोई राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार इस नतीजे पर आ जाय, इस निर्णय पर आ जाय, इसको इंटरसेप्ट करना है तो वह ऐसा कर सकती है। इस तरह से यह बहुत ही खतरनाक कानून है क्योंकि कोई भी सरकार जनता के पत्रों और दूसरी डाक को इंटरसेप्ट कर सकती है। तो इस कानून को, जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून है, इसको खत्म करना चाहिए।

महोदय, मैं अपनी बात जल्द खत्म कर दूंगा। (व्यवधान)...तो इस कानून को किसी भी सूरत में हमारी स्टेच्यूट बुक में नहीं रखना चाहिए क्योंकि हिन्दुस्तान एक आजाद मुल्क है और हिन्दुस्तान के लोग आजाद हैं। अगर आप समझते हैं कि आप अंग्रेजों के वारिस हैं और हिन्दुस्तान को गुलाम बनाये रखना चाहते हैं, मंत्री महोदय, आप अगर यह समझते हैं, जो मैं कह रहा हूं वह आपके दिमाग में भी आ जाय, इसलिये मैं फिर कहना चाहता हूं कि अगर केन्द्रीय सरकार यह समझती है कि वह अंग्रेजों की वारिस है अगर वह समझते हैं कि हिन्दुस्तान गुलाम है और गुलाम जनता पर अधिकार और सत्ता चला रहे हैं, तो इस कानून की जरूरत है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं समझते तो इस कानून की कोई जरूरत नहीं है। अंग्रेजों के लिये यह जरूरी था, उनकी सत्ता को कायम रखने के लिये यह जरुरी था मगर हमको इसकी जरुरत नहीं है। हम आज एक आजाद देश हैं, हमारा जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का मंत्रिमंडल है, हमको इस कानून की जरूरत नहीं है। कई सदस्यों ने, आज जो परिस्थिति देश में है उसके बारे में कई चीजें कही कि कितने नेताओं की हत्यायें हुई। हम भी नहीं चाहते कि ऐसा हो। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई यह बड़े दुख की बात है। उस दिन हमारी आंखों में आंसू आ गये थे। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। उन्हीं की सरकार सत्ता में थी कोई विरोधी दल की सरकार नहीं थी। वे प्रधान मंत्री थीं, ऐसा होना बड़े शर्म की बात है। सरकार उनकी जान की हिफाजत नहीं कर सकी। सरकार ने ऐसे हालात क्यों पैदा होने दिये? क्या कानून नहीं थे आपके पास? कानून थे। आज यह कहना

कि हत्यायें हो रही हैं, अभी बंग बंधु का भी जिक्र किया गया, विदेशों में कई जगह जो बड़े बड़े नेता थे उनकी हत्याओं के बारे में भी सदन में कहा गया यह साबित करने के लिये कि कानून की जरूरत है, हत्यायें न होने देने के लिये, जो कांसपिरेसी है उसको रोकने के लिये, जो हालात पैदा किये जा रहे हैं उनको खत्म करने के लिये। मैं बड़ी नम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि कानून होने के बावजूद ये हालात पैदा हुए कि श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई। मैं नहीं चाहता कि ऐसी हत्यायें हिन्दुस्तान में हों। मगर हुआ और उसी पार्टी की सरकार थी, वही पार्टी सत्ता में थी और उस पार्टी के नेता की, प्रधानमंत्री की उनके घर में हत्या हो गई। इसके लिये जिम्मेदार कौन था? इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार की है। उस वक्त के इंतजामात में, सेक्योरिटी में वही जिम्मेदार हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जो इसके लिये जिम्मेदार थे उनके ऊपर क्या ऐक्शन लिया गया, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी? कोई कार्यवाही नहीं की गई। आज यह कहना कि ये देशद्रोही हैं, वे देशद्रोही हैं यह मेरी समझ में नहीं आता। देशद्रोही और हत्या के दोषी वे लोग हैं जो उनकी जान की हिफाजत नहीं कर सके। उनकी जान की हिफाजत करनी चाहिए थी। साठे साहब के दिल में दर्द जरूर है। मैं भी था, वह भी लोक सभा के मेम्बर थे। साठे साहब के दिल में दर्द ही नहीं है मगर लोग बर्दाश्त नहीं कर सके, उस वक्त जो परिस्थिति हो गई या दिल में चोट हुई वह हर एक के दिल में थी लेकिन सरकार की जो नीतियां हैं और सरकार को चलाने का जो ढंग है यही कारण है कि इस तरह के तमाम हालत आज देश के अन्दर पैदा हो गये हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि इन नीतियों में परिवर्तन की जरूरत है। आपके खिलाफ या आपकी सरकार के खिलाफ अगर कोई पार्टी आवाज उठाती है तो यह नहीं समझना चाहिए कि वह देशद्रोही है या देश के दुश्मन हैं या आपके दुश्मन हैं। वे तो इन चीजों में सुधार लाने के लिए सलाह देते हैं अपनी बात कहते हैं। अगर आपकी यह नीति रही कि विपक्षी सदस्य जो भी हैं सब दुश्मन हैं फिर देश कभी सुधर नहीं सकता। उस वक्त पंजाब में अकाली दल सत्ता में था और भिंडरावाले को तैयार किया गया। किस ने तैयार किया? आप जानते हैं उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। कौन सी पार्टी उनको आगे लाई? आखिर में वे हमारे ही खिलाफ खड़े हो गये और इस से देश और समाज में जो भी हालत पैदा हो गए हैं उसे हम सुधार नहीं सके हैं। रोजाना आप अखबारों में पढ़ते हैं 15-20 लोगों की हत्यायें होती हैं। इसके सिवाय कोई दूसरी खबर अखबार में पढ़ने को नहीं मिलती है। तो आज जरूरत है हालात को सुधारने की और हमारी पालिसीज और काम करने के ढंग में परिवर्तन की जरूरत है, नीति में परिवर्तन की जरुरत है। जब तक नीति में तबदीली नहीं आएगी, परिवर्तन नहीं आएगा उस वक्त तक इस समस्या का हल नहीं होगा और हालात सुधरेंगे नहीं। यह मैं साफ-साफ कहता हूं। सरकार अगर समझे कि सर्वदलीय समिति बनाई जाए जो पंजाब में जाएं। मैं यह कहना चाहता हूं कि उस वक्त जब बरनाला सरकार पंजाब में थी, मैं वहां पर चार बार गया हूं और गांव-गांव में गया हूं और शहरों में भी हमने जनता से कहा कि अशान्ति नहीं होनी चाहिये, हत्याएं बन्द होनी चाहियें और जो भी समस्या हो वह आपस में बैठ कर उसका हल निकालना चाहिये। हमने यह अपील की। जहां तक हमारी पार्टी का संबंध है सभी देशों ने यह कहा कांग्रेस दल ने भी कहा। आखिरी मीटिंग अमृतसर में हुई। मेरा भाषण खत्म हुआ और मैंने उसमें तीन चीजों को रखा। मैंने एक तो यह बात रखी कि आम माफी हो जाए। जो जोधपुर डेटेन्यूज की मांग थी, बरनाला साहब की भी मांग थी कि जो जोधपुर डेटेन्यूज हैं उनको तीन चार साल से वहां पर रखा हुआ है या तो उन पर मुकदमा चलाओ अगर उन्होंने कुछ गुनाह किया है; नहीं तो उनको छोड़

[श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी]

दिया जाना चाहिये। अगर उनके ऊपर इल्जाम साबित नहीं होता है तो उनको छोड़ दो। दूसरा मैंने सरकार से यह कहा कि जो भी वहां के बेरोजगार नौजवान है उन सब को जो बिगड़े हुए नौजवान लोग हैं जो विदेशियों के इशारों पर या अन्दरूनी ताकतों के इशारों पर गलत रास्ते पर पड़े हैं, उनको सही रास्ते पर लाना चाहिए और उनको रोजगार पर लगा देना चाहिए। तीसरी बात मैंने यह कही कि लौंगोवाल साहब से जो मुहाइदा हुआ है उसका अमल होना चाहिए और इंदिरा गांधी जी की हत्या के फौरन बाद 1984 में जो दंगे हुए खासकर दिल्ली में उसके जो जिम्मेदार लोग हैं उनको सजा देनी चाहिए। जिन लोगों ने उसमें तकलीफ उठायी, बेघर हुए उनको बसाने का काम जल्दी होना चाहिए। जब मेरा भाषण हो रहा था तो श्री पी० वी० नरसिंह राव जी आये हुए थे और बैठे हुए थे। मेरा भाषण खत्म होने के बाद उन्होंने भाषण दिया और कहा कि मैं प्रधान मंत्री जी की ओर से एक संदेश लेकर आया हूं कि कुछ ही दिनों में जोधपुर में जो नजरबंद लोग हैं उनको रिहा किया जायेगा। हमने ताली बजायी, सारे लोगों ने तालियां बजायीं कि कम से कम यह निर्णय तो हुआ कि बेगुनाह लोगों को रिहा किया जायेगा, और दूसरी कई अच्छी बातें उन्होंने कहीं। बरनाला सरकार की तारीफ भी की। हम यही समझे कि ठीक है हालात सुधर जायेंगे, और भी मीटिंग सभाएं होती रहीं, हम सब यही समझे कि हालात में कुछ सुधार होगा। मगर कुछ एक महीने के अंदर ही जोधपुर के डिटेन्यूज को रिहा करना तो दूर रहा, लोगों द्वारा चुनी हुई बरनाला सरकार को डिसमिस कर दिया गया और प्रेजीडेंट रूल लागू कर दिया गया। तो कैसे हालात सुधरेंगे यह मेरी समझ में नहीं आता। कोई न कोई रास्ता हमको निकालना चाहिए। किसी पर कोई भरोसा होना चाहिए। हालत सुधारने के लिए हमको इस कानून की जरूरत है, उस कानून की जरूरत है, यह कोई मेरी समझ में आने वाली बात नहीं है। तो हालात को सुधारने के लिए हमारी नीतियों में कुछ तब्दीली की जरूरत है। मैं मंत्री महोदय श्री वसन्त साठे का बहुत ही आदर करता हूं क्योंकि उन्होंने भी इस देश को बनाने और आजाद कराने में योगदान दिया है। मैं यह नहीं समझता हूं कि वे दिल से चाहेंगे कि यह रहे। मगर यह भी नहीं समझता कि गोपाल स्वामी जी के इस बिल का अनुमोदन करेंगे। मैं समझता हूं कि उनको हिम्मत नहीं होगी। मगर मैं उनसे इतनी प्रार्थना करता हूं कि कोई ऐसा रास्ता जरूर निकालिए ताकि ये जो प्राविजन्स हैं इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, 1885 में सेक्शन 5 और इंडियन पोस्ट आफिस एक्ट, 1898 में सेक्शन 26, इनको जल्दी से जल्दी खत्म किया जा सके। आपसे मेरी यही विनती है। मैं नहीं समझता कि आज आप इस परिस्थिति में हैं कि इस बिल को मानेंगे। कभी हुआ नहीं है सदन में, जो भी प्राइवेट मेम्बर्स बिल आते हैं उनको विदड्रा करते हैं या ये अपील करते है कि विदड्रा करें। इसलिए आप इसको नहीं मानेंगे, इसको रद्द करेंगे लेकिन मेरी आखिरकार आपसे यही विनती है कि इन कानूनों को खत्म करने का कोई रास्ता जरूर निकालिए। आप जानते हैं कि पार्लियामेंट में कानून भी बना था और पिछली बार दोनों सदनों ने इसको पास किया था। लेकिन हमने और देश की जनता ने अपील की थी कि अभी इस पर राष्ट्रपति का अनुमोदन न हो, परमिशन न दी जाये"। वह रुका हुआ है आज भी; और हमें उम्मीद है कि रुक जाना चाहिए, उसको वापस लिया जाना चाहिए और इस कानून में तब्दीली जरूर लानी चाहिए। इतना कहते हुए आपको धन्यवाद।

श्री राम चन्द्र विकल : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। रेड्डी साहब जब चेयर पर थे तो मैंने कहा था कि आपको सुनकर बोलूंगा। उन्होंने मेरा नाम पहले बोल दिया। मेरी मजबूरी यह थी कि इस विधेयक को मैं तब तक समझ नहीं पाया था। कुछ विद्वान लोगों से तर्क सुने। जो हमारे नये मेम्बर एक हमारे विधिवेत्ता श्री जेठमलानी हैं उन्होंने समर्थन किया और तर्क दिये। उनके बारे में मेरी एक राय है। मैं गांव से आता हूं, विधि-विधान

का जानने वाला नहीं हूं---सदन मुझे माफ करे। हमारे गांव में एक लड़का खड़ा हुआ पेशाब कर रहा था। यह खड़ा पेशाब अब तो फैशन बन गया है पेंट की वजह से, जब से अंग्रेजियत आ गई। पेंट ने मजबूर कर दिया है खड़े होकर पेशाब करने को, वैसे यह स्वास्थ्य के लिए खराब है। गांव में लोगों ने कहा कि यह लड़का बड़ा खराब है, इसके बाप से शिकायत करें। तो उसके बाप को जाकर कहा कि तुम्हारा लड़का बहुत खराब है, खड़ा होकर पेशाब कर रहा है। तो बाप चक्कर काट करके पेशाब कर रहा था, वह खड़ा ही नहीं कर रहा था, खाली चक्कर काट रहा था और पेशाब कर रहा था।

यह विधि वेता हमारे में उस बाप की तरह से हैं, जो विधि को मानते ही नहीं। उन्होंने शपथ ही गलत ली। इनकी शपथ सही नही हुई, सच्चाई यह है। उपसभाध्यक्ष जी, मुझे थोड़ी सी चेयर से भी शिकायत है उनके बारे में तो, कि चैयर ने अपनी तरफ से यह कह दिया कि यह शब्द नहीं. रहेंगे प्रोसीडिंग्ज में, लेकिन उनसे आज तक विदड़ा नहीं करवाये। मैं उनकी ओथ को आज भी सही नहीं मानता। उनकी ओथ सही नहीं है, जब तक वह खुद उस शब्द को वापिस न लें, वरना इस सदन की गरिमा क्या रहेगी, इस सदन का महत्व क्या रहेगा? यह सदन के महत्व के लिए जरूरी है।

अब जो रेड्डी साहब ने रौब डाल दिया विधि वेत्ता के बारे में कि वह भी यह बोल रहे हैं, इसलिए बोलें कि यह विधि वेत्ता बोल रहे हैं---तो विधि वेत्ता के बारे में मेरी यह राय है।

दूसरा, उपसभाध्यक्ष जी, बार-बार रेड्डी साहब ने कहा और हमारे मारन साहब ने भी कहा कि पंजाब के लिए ला रहे हो, तो कोई बुराई नहीं है। ठीक है.... (व्यवधान)

श्री वी० सत्यनारायण रेड्डी : मैंने यह नहीं कहा... (व्यवधान) मेरी बात सुन लीजिए.. (व्यवधान)

श्री राम चन्द्र विकल : नहीं, वह बोले-आप उनसे पूछ लीजिए।... (व्यवधान)

श्री रऊफ वली उल्लाह : वह आपकी बात नहीं कर रहे हैं। वह तो मारन साहब की बात कर रहे हैं।

श्री वी० सत्यनारायण रेड्डी : मैंने यह कहा... (व्यवधान) ...ऐसी हालत है कि कानून से कोई मदद नहीं मिली।

श्री राम चन्द्र विकल : मैं आपकी बात पर अभी आ रहा हूं। मैं मारन साहब की बात कह रहा हूं कि उन्होंने यह कहा कि पंजाब के लिए अगर यह है, तो ठीक है! तो मैं जानना चाहता हूं कि पंजाब को खत तो सारे देश से आते है, जो सारे देश के लिए ठीक होगा। पंजाब को खत कोई एक जगह से जाते हैं, सारे हिन्दुस्तान से खत आते हैं।

तीसरा, रेड्डी साहब ने तर्क दिया कि दोनों सदनों से जब पास हो गया, तो राष्ट्रपति साहब से हमने अपील की जनता को ले जाकर के कि आप दस्तखत मत करो। दोनों सदनों---राज्य सभा और लोक सभा---से पास हो गया, तो बताइये कि उसका विरोध कैसे हो सकता है ?

श्री वी० सत्यनारायण रेड्डी : क्यों कंस्टीट्यूशन बनाने के बाद उसमें परिवर्तन हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, हुआ है।... (व्यवधान) कंस्टीट्यूशन के अंदर है वापिस लेने का ... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा): बिकल जी, आप इस तरफ बोलिये ।

श्री राम चन्द्र विकल : तीसरा तर्क मैं दे रहा था---रेड्डी साहब ने बार-बार कहा कि अंग्रेज तो हुकूमत कर रहा था---मान लो कोई ऐसा हाकिम आ जाए जो हुकूमत करना चाहे, तो हम कोई हुकूमत से हटना चाहते हैं---हम भी हुकूमत में ही रहना चाहते हैं... (व्यवधान)

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : मैंने यह नहीं कहा... (व्यवधान)

श्री राम चन्द्र विकल : यह बोला आपने--तो कांग्रेस पार्टी भी हुकूमत से नहीं हटना चाहती । मैं तो इन्हीं के तर्क का जवाब दे रहा हूं ।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : अंग्रेजों का वारिस मत बनो, यह बोला है ।

श्री राम चन्द्र विकल : उनके वारिस नहीं हैं, तो उनके उत्तराधिकारी हैं। हमने उनसे ही राज लिया है, उत्तराधिकारी हैं, वारिस नहीं हैं । उनसे राज लिया है, उत्तराधिकारी भी हैं, लेकिन हर कानून जो अंग्रेज का खराब था, उनके हम विरोधी हैं । अगर उनकी कोई अच्छी बात थी ...(व्यवधान) गांधी जी भी हमेशा कहते थे कि हमें अंग्रेजों से विरोध नहीं है, हम अंग्रेजियत के विरुद्ध हैं, अंग्रेजों के जो खराब काम हैं, उनके विरुद्ध हैं। गांधी जी रोज बोलते थे स्वराज के दिनों में । तो अगर उनकी कोई बात अच्छी थी, उसको हम मान लें, तो क्या खराबी की बात है ?.

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : वह कंस्टीट्यूशनल नहीं है ।

श्री राम चन्द्र विकल : इस विधेयक के लिए आपने खुद खराब साबित किया है, अगर आप अपने तर्कों को समझें तो आपने खुद अपने तर्क और दलीलों से यह कहा है कि यह कानून पास नहीं होना चाहिए। अगर कोई जरा भी समझदार है, या मेरे जैसा आदमी भी आपके तर्कों को समझ पाया, तो मैं यह कह रहा हू कि उन्होंने खुद यह तर्क दिया है--हमारे मारन साहब ने यह तर्क दिया है और विधि वेत्ता के बारे में तो मैं समझता ही नहीं, उनकी बात तो मेरी समझ में आई ही नहीं है। मैं इस विधेयक के बारे में यह कहना चाहता हूं कि यह विधेयक अनावश्यक है और रेड्डी साहब ने भी कहा है कि वह पास तो होना ही नहीं है, तो मैं क्यों कह दूं कि इसे पास होना चाहिए । आपने खुद यह बार-बार कहा है ।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : मैंने तो मंत्री जी से कहा है कि सरकार की तरफ से कानून लाने की... (व्यवधान)

मैंने तो मंत्री महोदय से अपील की है कि उनको यह कानून लाना चाहिए--यह कहा है ।

5.00 P.M.

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा): विकल जी, आप बैठिए, अगले सत्र में जारी रखें ।

Before we take up the next business, the Minister for Textiles will make a small statement, which has been permitted by the Deputy Chairman.

STATEMENT BY MINISTER

III. Constitution of Committee to re. view the progress of the implementation of the Textile Policy, 1985.

THE MINTSTER OF TEXTILES (SHRI RAM NIWAS MIRDHA): Mr. Vice-Chairman, Sir, I had earlier stated in this august House that we had decided to appoint a Committee *to* review how the Textile policy has worked uptill now. Accordingly, I am glad to announce the constitution, of such a Committee, under the Chairmanship of Shr,i Abid Hussain, Member Planning Commission. This